कार्यालय निर्वाचन अधिकारी विधि सेवा परिषद राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–रा.वि.से.प./चुनाव अधिकारी/1/2017 दिनांक 21.07.17

सूचना

विधि सेवा परिषद के सभी सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि परिषद के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु दिनांक 19.07.17 को हुई साधारण सभा की बैठक में मुझ विजय कुमार जैन को निर्वाचन अधिकारी एवं श्री सोमदत्त खाण्डपा को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर चुनाव सम्पन्न कराने का दायित्व सौंपा गया हैं

विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव 4 अगस्त 2017 को कराये जाने का निर्णय लिया गया है इसके सम्बंध में चुनाव कार्यक्रम निम्न प्रकार से है–

1. नामांकन 26.07.17 एवं 27.07.17 को अपराह्न 2:00 बजे से 5:00 बजे तक कमरा नं. 1238 मुख्य भवन, शासन सचिवालय जयपुर में प्रस्तुत कर सकेंगे।
2. नामांकन पत्र दिनांक 31.07.17 को अपराह्न 2:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक वापस लिये जा सकेंगे।
3. अध्यक्ष पद का चुनाव निर्विरोध नहीं होने की स्थिति में प्रत्याशियों की सूची दिनांक 01.08.17 को प्रातः 11:00 बजे तक जारी की जायेगी।
4. चुनाव हेतु एक से अधिक अभ्यर्थी खड़े होने की स्थिति में सभी सम्भागों में चुनाव सम्पन्न होंगे जिसके लिए सम्भागीय निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति दिनांक 01.08.17 को प्रातः 11:00 बजे तक कर दी जायेगी।
5. चुनाव दिनांक 04.08.17 को अपराह्न 1 बजे से 4 बजे तक सम्पन्न कराये जायेंगे।
6. जयपुर सम्भाग में पदस्थापित विधि सेवा परिषद के सदस्य कमरा नं. 7109–ए, खाद्य भवन (किमी. सैल) शासन सचिवालय जयपुर में उपस्थित होकर अपना मतदान कर सकते हैं।
7. अन्य किसी सम्भाग का विधि सेवा अधिकारी यदि चुनाव की दिनांक 04.08.17 को अपराह्न 1:00 बजे से 4:00 बजे तक जयपुर में होने की स्थिति में जयपुर सम्भाग के उपरोक्त मतदान केन्द्र पर भी अपना मतदान कर सकेगा, उसे यह शपथ पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित कर देना होगा कि उसने अन्य मतदान केन्द्र पर अपना मतदान नहीं किया है।
8. सम्भागीय स्तर पर चुनाव का स्थान सम्भागीय निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के साथ ही घोषित किया जायेगा।
9. सम्भागीय निर्वाचन अधिकारी चुनाव सम्पन्न होने के तुरंत पश्चात वाट्सएप एवं दूरभाष द्वारा निर्वाचन अधिकारी को मतों की गणना का ब्यौरा देंगे एवं निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी सम्भागों के परिणामों की गणना के आधार पर निर्वाचित अध्यक्ष की घोषणा की जायेगी।
10. नामांकन पत्र पृष्ठ भाग पर उपलब्ध है।

विजय कुमार जैन
निर्वाचन अधिकारी
मो0–9414461538

सोमदत्त खाण्डपा
सहायक निर्वाचन अधिकारी
मो0–8764295288

विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद हेतु नामांकन प्रपत्र

नाम : .....

पिता का नाम : .....

जन्म तिथि : .....

पदनाम : .....

वर्तमान पदस्थापन : .....

मोबाईल नं0 : .....

ई-मेल : .....

शपथ

मैं.....राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद हेतु होने वाले चुनाव दिनांक 04.08.17 हेतु नामांकन प्रस्तुत करता/करती हूँ। मैं राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान की पालना करूंगा।

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

प्रस्तावक

नाम : .....

पदनाम : .....

मो0 नं0 : .....

हस्ताक्षर : .....

अनुमोदक

नाम : .....

पदनाम : .....

मो0 नं0 : .....

हस्ताक्षर : .....

.....

प्रमाणीकरण : वैध/अवैध

(विजय कुमार जैन)
निर्वाचन अधिकारी

(सोमदत्त खाण्डपा)
सहायक निर्वाचन अधिकारी

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी विधि सेवा परिषद राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–रा.वि.से.प./चुनाव अधिकारी/2/2017, दिनांक 27.07.17

–:सूचना:–

विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र प्राप्त होने के अंतिम तिथि 27.07.17 को सांय 5:00 बजे तक निम्न दो नामांकन प्राप्त हुए है:–

3. श्री कपिल महर्षि, सहायक विधि परामर्शी
4. श्री जितेन्द्र सिंह, सहायक विधि परामर्शी

उक्त दोनों प्रत्यार्शियों के नामांकन पत्र जांच उपरांत वैद्य पाये गये हैं।

27/07/17

(विजय कुमार जैन)
निर्वाचन अधिकारी
मो0–9414461538

27/07/17

(सोमदत्त खाण्डपा)
सहायक निर्वाचन अधिकारी
मो0–8764295288

विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद हेतु नामांकन प्रपत्र

नाम	:	जितेन्द्र सिंह
पिता का नाम	:	श्री हरि सिंह
जन्म तिथि	:	15-08-1964
पदनाम	:	सहायक विधि परामर्शी
वर्तमान पदस्थापन	:	विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
मोबाईल नं0	:	9461302549
ई-मेल	:	sikarwarJsingh@gmail.com

शपथ

मैं..जितेन्द्र सिंह.....राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद हेतु होने वाले चुनाव दिनांक 04.08.17 हेतु नामांकन प्रस्तुत करता/~~करती~~ हूँ। मैं राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान की पालना करूंगा।

27.7.2017

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

प्रस्तावक

नाम	:	भारती शर्मा
पदनाम	:	कनिष्ठ विधि अधिकारी
मो0 नं0	:	9887511002
हस्ताक्षर	:	27.7.17

अनुमोदक

नाम	:	सुनील कुमार जोशी
पदनाम	:	वरि० उपखण्ड विधि परामर्शी
मो0 नं0	:	9461305560
हस्ताक्षर	:	27.7.17

प्रमाणीकरण : वैध/अवैध

(विजय कुमार जैन)
निर्वाचन अधिकारी

(सोमदत्त खाण्डल)
सहायक निर्वाचन अधिकारी

विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद हेतु नामांकन प्रपत्र

नाम	:	कपिल महर्षि
पिता का नाम	:	स्व० श्री ओ.के. महर्षि
जन्म तिथि	:	28-10-1967
पदनाम	:	सहायक विधि परामर्शी
वर्तमान पदस्थापन	:	चिकित्सा निदेशालय /हाल पदस्थापन कार्या विधि राज्यमंत्री जयपुर।
मोबाईल नं0	:	9414446067
ई-मेल	:	Kapilmahrshi777@gmail.com

शपथ

मैं कपिल महर्षि राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद हेतु होने वाले चुनाव दिनांक 04.08.17 हेतु नामांकन प्रस्तुत करता/करती हूँ। मैं राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान की पालना करूंगा।

[signature] 26-7-17
प्रत्याशी के हस्ताक्षर

प्रस्तावक

नाम	:	चन्द्रशेखर गौड़
पदनाम	:	सहायक विधि परामर्शी
मो0 नं0	:	9829206464
हस्ताक्षर	:	[signature]

अनुमोदक

नाम	:	कपिल शर्मा
पदनाम	:	कनिष्ठ विधि अधिकारी
मो0 नं0	:	9887951770.
हस्ताक्षर	:	[signature]

प्रमाणीकरण : वैध/अवैध

[signature] (विजय कुमार जैन)
निर्वाचन अधिकारी

[signature] (सोमदत्त ग्वाण्डपा)
सहायक निर्वाचन अधिकारी

श्रीमान निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान विद्युत सेवा परिषद
जयपुर

विषय- निर्वाचन की दिनांक स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में
संदर्भ- रा.वि.से.प./चुनाव अधिकारी/1/2017 दिनांक 21.7.2017

निवेदन

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि परिषद के चुनाव हेतु दिनांक 4/8/2017 निश्चित है। राजस्थान में वर्षा की वजह से चुनाव प्रचार हेतु पर्याप्त समय नहीं प्राप्त हुआ है। अतः चुनाव की दिनांक 10 दिन आगे बढ़ाने का कष्ट करें।

भवदीय

1 जितेन्द्र सिंह
30/7/2017
(जितेन्द्र सिंह)
उम्मीदवार अध्यक्ष पद

2. [signature]
30-7-17
(KAPIL MAHESHWARI
प्रत्याशी, अध्यक्ष

रा. वि. से. प./चुनाव अधि./3/2017/31.07.17

उक्त प्रार्थना-पत्र को दृष्टिगत रखते हुए मतदान की तिथि 4 अगस्त 17 के स्थान पर 11 अगस्त 17 की जाती है।

[signature]
31/07/17
(सोमदत्त खाण्डपा)
सहायक निर्वाचन अधिकारी

[signature]
31/07/17
(विजय कुमार जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

श्रीमान निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान विधि सेवा परिषद
जयपुर,

विषय – निर्वाचन के सूचना के सम्बन्ध में
सन्दर्भ – सूचना दिनांक 21/7/2017

महोदय

उपरोक्त विषय में अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष के अध्यक्ष हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः अध्यक्ष हेतु आवेदन-पत्र वापस लेता हूँ।

भवदीय
[हस्ताक्षर]
31-7-2017
(KAPIL MAHARISHI)
प्रत्याशी, अध्यक्ष पद)

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

[हस्ताक्षर]
31/07/17
(विजय कुमार जैन)
निर्वाचन अधिकारी

[हस्ताक्षर]
31/07/17
(सोमदत्त खाण्डपा)
सहायक निर्वाचन अधिकारी

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी विधि सेवा परिषद राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–रा.वि.से.प./चुनाव अधिकारी/4/2017, दिनांक 31.07.17

–:निर्वाचन प्रमाण–पत्रः–

विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु दिनांक 19.07.17 को हुई साधारण सभा की बैठक में मुझ विजय कुमार जैन को निर्वाचन अधिकारी एवं श्री सोमदत्त खाण्डपा को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर चुनाव सम्पन्न कराने का दायित्व सौंपा गया। इस क्रम में नामांकन पत्र प्राप्त होने के अंतिम समय तक निम्न दो नामांकन प्राप्त हुएः–

1. श्री कपिल महर्षि, सहायक विधि परामर्शी
2. श्री जितेन्द्र सिंह, सहायक विधि परामर्शी

उक्त दोनों प्रत्यार्शियों के नामांकन पत्र जांच उपरांत वैध पाये गये। दिनांक 30.07.17 को उक्त दोनों प्रत्याशियों ने संयुक्त हस्ताक्षरित एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि राजस्थान में वर्षा की वजह से चुनाव प्रचार हेतु पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है, अतः चुनाव की तिथि दिनांक 04.08.17 से 10 दिवस आगे बढाने हेतु लिखा गया है। इस संदर्भ में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा विचार कर चुनाव की तिथि 04.08.17 के स्थान पर 11.08.17 निश्चित की गई।

लेकिन आज नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि दिनांक 31.07.17 को निर्धारित समय तक श्री कपिल महर्षि ने नाम वापस लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे स्वीकार किया जाता है। विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु श्री जितेन्द्र सिंह सहायक विधि परामर्शी का मात्र एक नाम रह जाने के कारण अब मतदान की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है।

अतः श्री जितेन्द्र सिंह सहायक विधि परामर्शी को विधि सेवा परिषद का निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया जाता है।

31/07/17

(विजय कुमार जैन)
निर्वाचन अधिकारी
मो0–9414461538

(सोमदत्त खाण्डपा)
सहायक निर्वाचन अधिकारी
मो0–8764295288

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी
विधि सेवा परिषद राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–रा.वि.से.प. / चुनाव अधिकारी / 5 / 2017 दिनांक 09.08.17

श्री जितेन्द्र सिंह,
सहायक विधि परामर्शी,
विधि विभाग, शासन सचिवाचल
राज0 जयपुर।

विषय :– विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद हेतु प्राप्त नामांकन पत्रों की जांच उपरान्त निम्न दो नामांकन पत्र वैघ पाये गये थे:–

1. श्री कपिल महर्षि, सहायक विधि परामर्शी
2. श्री जितेन्द्र सिंह, सहायक विधि परामर्शी

नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 31.07.2017 को निर्धारित समय से पूर्व श्री कपिल महर्षि के नाम वापस लेने के कारण विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद हेतु मात्र आपका नाम रह जाने के कारण मतदान की कोई आवश्यकता नही रह जाने के कारण दिनांक 31.07.2017 को आपको विधि सेवा परिषद का निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।

लेकिन आप द्वारा आदिनांक तक निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया है, अतः अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता से संपर्क कर निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेवें।

भवदीय

(विजय कुमार जैन)
सहायक विधि परामर्शी
एवं निर्वाचन अधिकारी
मो0 94144615[illegible]

शपथ–ग्रहण

मैं जितेन्द्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा संघ की कार्यकारिणी में अध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुये अपने कर्तव्यों का पूरी योग्यता और शुद्व अंतःकरण से निर्वहन करूंगा एवं पद की गोपनीयता को बनाये रखूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना विधि सेवा के सभी सदस्यों के हित में विधि अनुसार सहयोग करूंगा।

11/8/2017

हस्ताक्षर

राजस्थान विधि सेवा परिषद्

कार्यालय : कमरा नं. 2ए, विधि विभाग (मुख्य भवन)
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक सं. रा वि से प/ चुनाव अधिकारी/ 08/2017 दिनांक 11/08/17

–:: प्रेस विज्ञप्ति ::–

राजस्थान विधि सेवा परिषद के वर्ष 2017–18 के चुनावों में श्री जितेन्द्र सिंह, सहायक विधि परामर्शी को अध्यक्ष पद हेतु निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाकर निर्वाचन प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया।

परिषद के चुनाव अधिकारी श्री विजय कुमार जैन, सहायक विधि परामर्शी एवं सहायक चुनाव अधिकारी श्री सोमदत्त खाण्डपा ने चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने पर धन्यवाद ज्ञापित किया।

(विजय कुमार जैन)
सहायक विधि परामर्शी एवं
निर्वाचन अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित है :–

1. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. दैनिक भास्कर, जयपुर।
3. राजस्थान पत्रिका, जयपुर।

(विजय कुमार जैन)
सहायक विधि परामर्शी एवं
निर्वाचन अधिकारी

नोटिस

नोटिस बावत – अवैद्य निर्वाचन प्रक्रिया व दस्तावेज़ात का दुरूपयोग करने के क्रम में:–

द्वारा

श्री कपिल महर्षि पुत्र स्व. श्री जी.के. महर्षि पद सहायक विधि परामर्शी हाल पदस्थापन कार्यालय मा. विधि राज्य मंत्री सचिवालय जयपुर।

विरूद्व

श्री विजय कुमार जैन पुत्र – नामालूम, सहायक विधि परामर्शी हाल पदस्थापन कार्मिक विभाग सचिवालय जयपुर एवं निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान विधि सेवा परिषद्

विषयान्तर्गत नोटिस निम्नप्रकार प्रेषित है:–

1. यह कि राजस्थान विधि सेवा परिषद् की आम सभा में दिनांक 19.07.2017 को आपकों निर्वाचन अधिकारी घोषित किया गया था।
2. यह कि आप द्वारा घोषित कार्यक्रमानुसार दिनांक 26 व 27.07.2017 नामांकन प्रस्तुत करने की तिथि, दिनांक 31.07.2017 नामांकन वापसी की तिथि एवं आवश्यक होने पर दिनांक 04.08.2017 को मतदान तिथि घोषित की गई थी।
3. यह कि चूंकी नोटिस दाता भी परिषद का सक्रिय सदस्य है, अतः अध्यक्ष पद वास्ते मेरे द्वारा भी दिनांक 26.07.2017 को नामांकन प्रस्तुत किया गया था, जिसे की बाद जांच आप द्वारा वैद्य पाया था।
4. यह कि दिनांक 31.07.2017 को राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में अतिवृष्टि की स्थिति के कारण चुनाव प्रचार हेतु पर्याप्त समय ना मिलनें, आप द्वारां समय पर सम्भागीय प्रतिनिधी नियुक्त न करने के कारण मेरे द्वारा समय सीमा मतदान की बढ़ाने बाबत् अनुरोध किया गया अन्यथा स्थिति में चुनाव का बहिष्कार करने का प्रस्ताव रखा।
5. यह कि आप द्वारा उभय पक्ष की सहमति से मतदान प्रक्रिया आगामी तिथि दिनांक 11.08.2017 तक स्थगित कर दी गई, बावजूद इसके मेरे द्वारा एक अन्य वरिष्ठ सदस्य श्री सुनील जोशी जी को सशर्त प्रस्तुत Withdrawal प्रार्थना पत्र को अवैद्य रूप से प्राप्त कर मतदान तिथि दिनांक 11.08.2017 तक स्थगित होने के बावजूद अन्य प्रत्याशी से सांठगांठ करते हुए दिनांक 31.07.2017 को ही उनके पक्ष में निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी कर दिया एवं दिनांक 10.08.2017 दिए गए दस्तावेज़ात को किसी अन्य सदस्य के मार्फत Whats App पर भी चस्पा कर दिया जबकी दस्तावेज़ात से यह स्वतः स्पष्ट है कि मतदान प्रक्रिया हर सूरत में 11.08.2017 तक स्थगित थी।

लिहाज़ा जरिए नोटिस आपको आगाह किया जाता है कि या तो अन्दर मियाद तीन दिवस सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को अवैद्य घोषित कर मुझे सूचित किया जावे अन्यथा बाद गुजरने मियाद मेरे द्वारा सिविल/आपराधिक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

नकल नोटिस सुरक्षित रख ली गई है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

कपिल महर्षि 11-8-2017
सहायक विधि परामर्शी
हाल पदस्थापन कार्यालय विधि राज्यमंत्री
सचिवालय जयपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रस्तुत है:–

1. निजी सचिव, माननीय प्रमुख शासन सचिव विधि, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, विधि विभाग, सचिवालय जयपुर।

कपिल महर्षि 11-8-2017
सहायक विधि परामर्शी
हाल पदस्थापन कार्यालय विधि राज्यमंत्री
सचिवालय जयपुर।

श्री कपिल महर्षि पुत्र स्व0 श्री जी.के.महर्षि
सहायक विधि परामर्शी,
हाल पदस्थापन कार्यालय माननीय विधि राज्यमंत्री,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– आपका नोटिस बाबत अवैध निर्वाचन प्रकिया व दस्तावेजात का दुरूपयोग करने के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा वाट्सअप के माध्यम से प्रेषित नोटिस दिनांक 11.08.2017 (नोटिस की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्रदर्श सं0 1 पर संलग्न) के कम में सर्वप्रथम आपको यह अवगत कराया जाना आवश्यक समझता हूँ कि आपको, निर्वाचन अधिकारी को उक्त प्रकार का नोटिस दिये जाने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं, फिर भी आप द्वारा विधि सेवा के सदस्यों के मध्य जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, उन्हें दृष्टिगत रखते हुए आपके द्वारा नोटिस में उल्लेखित बिन्दुओं का जवाब निम्नानुसार हैः–

1. इस पैरा के संबंध में लेख है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को राजस्थान विधि सेवा परिषद की आम सभा में दिनांक 19.07.2017 को सर्वसम्मति से निर्वाचन अधिकारी एवं श्री सोमदत्त खाण्डपा, क0वि0अधिकारी को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था।
2. इस पैरा के संबंध में लेख है कि निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से अधिसूचना दिनांक 21.07.2017 के द्वारा चुनाव कार्यकम घोषित किया गया था। घोषित कार्यकम अनुसार दिनांक 26 व 27.07.2017 नामांकन प्रस्तुत करने की तिथि, दिनांक 31.07.2017 नामांकन वापसी की तिथि एवं आवश्यक होने पर दिनांक 04.08.2017 को मतदान तिथि घोषित किया जाना विवादित नही है।
3. इस पैरा के संबंध मे आप द्वारा दिनांक 26.07.2017 को नामांकन प्रस्तुत किया जाना तथा जांच उपरान्त वैध पाया जाना विवादित नही है।
4. इस पैरा में तथ्यों को जिस प्रकार से तोड–मरोड कर अंकित किया गया है, स्वीकार नही है। दिनांक 30.07.2017 को दोनों प्रत्याशी श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री कपिल महर्षि (जिनके नामांकन पत्र अंतिम तिथि को जांच उपरान्त वैध पाये गये थे) द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से अधोहस्ताक्षरकर्ता को पत्र लिखकर विधि सेवा परिषद के चुनाव राजस्थान में वर्षा की वजह से चुनाव प्रचार हेतु पर्याप्त समय प्राप्त नही होने के कारण पूर्व निर्धारित मतदान तिथि 04.08.2017 को 10 दिन आगे बढाने का निवदेन किया गया था।

   अधोहस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक 31.07.2017 को मध्याहं पूर्व सहायक निर्वाचन अधिकारी से चर्चा कर संयुक्त हस्ताक्षर से मतदान की तिथि 04.08.2017 को आगे बढाकर मतदान के प्रति दिनांक 11.08.2017 निश्चित की गई थी। **(प्रदर्श संख्या 02)**
5. इस पैरा में उल्लेखित तथ्य बेवुनियाद एवं मनगढंत होने के कारण अस्वीकार है। वस्तुस्थिति यह है कि आप द्वारा दिनांक 31.07.2017 को नामांकन पत्र वापिस लेने की समयावधि सायं 4.00 बजे से पूर्व निर्वाचन अधिकारी के नाम पत्र लिखकर अपना नाम बिना किसी शर्त के वापस ले लिया, जिसे अधोहस्ताक्षरकर्ता ने सहायक निर्वाचन अधिकारी के साथ मिलकर स्वीकार किया। **(प्रदर्श संख्या 03)**

   नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 31.07.2017 को आप द्वारा अपना नाम वापस ले लिये जाने के कारण अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु मात्र एक प्रत्याशी श्री जितेन्द्र सिंह, सहायक विधि परामर्शी का ही नाम रह जाने के कारण मतदान कराने की कोई आवश्यक नही रह गई थी। अतः उसी दिन कमांक राज0वि.स.प/चुनाव अधिकारी/4/2017 दिनांक 31.07.2017, के द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह को निर्विरोध

निर्वाचन प्रमाण पत्र **(प्रदर्श संख्या 04)** जारी कर संबंधित को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सूचित कर दिया गया था।

निर्वाचित अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 09.08.2017 तक भी निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त नही करने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उन्हे अविलम्ब निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पत्र जारी किया गया ताकि निर्वाचन प्रकिया पूर्ण की जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता निर्वाचन अधिकारी के दायित्व से मुक्त हो सकें। **(प्रदर्श संख्या 05)**

उपरोक्त समस्त तथ्यों की पुष्टि निवर्तमान सहायक निर्वाचन अधिकारी से भी की जा सकती है, क्योंकि निर्वाचन से संबंधित समस्त कार्यवाही निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी।

उपरोक्तानुसार आप द्वारा दिया गया नोटिस दिनांक 11.08.2017 तथ्यों से परे, झूठा एवं मनगढंत है। **आप द्वारा मंत्रालय में पदस्थापित रहते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर, अधोहस्ताक्षरकर्ता के विरूद्ध दुष्प्रचार कर निर्वाचन प्रकिया को किसी भी तरह अवैध घोषित कराने का प्रयास किया जा रहा है।** साथ ही आपके साथी अधोहस्ताक्षरकर्ता के विरूद्ध सिविल/आपराधिक कार्यवाही करने की धमकी दे रहे है, जो विधिक दृष्टि से किसी भी तरह उचित नही है। अगर आपके द्वारा आगे से किसी भी तरह की झूठी कार्यवाही/धमकी दी जाती है तो मुझे आपके विरूद्व सक्षम न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

(विजय कुमार जैन) 18/08/17
सहायक विधि परामर्शी एवं निवर्तमान निर्वाचन
अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्न को संबंधित दस्तावेजात संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा0 प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
2. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।

(विजय कुमार जैन) 18/08/17
सहायक विधि परामर्शी एवं निवर्तमान निर्वाचन
अधिकारी

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः– कमरा नं. 1007, विधि विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक सं. 2

दिनांकः 21.8.2017

ज्ञापन

सेवामें,

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO) के वेतनमान की विसंगति दूर करने बाबत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य में बढ़ते हुए राजकीय वादकरण को दृष्टिगत रखते हुए वादों के सुचारू संचालन/निस्तारण तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु विद्वान महाधिवक्ता डा. एल. एम. सिंघवी की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा विधिक सेवा के गठन की सिफारिश की गई थी। विधि सेवा के अधिकारियों का स्टेटस निर्धारित करने के लिए विधि सेवा के सबसे कनिष्ठ पद 'कनिष्ठ विधिक अधिकारी (JLO)' जिसे राजस्थान विधिक सेवा के गठन से वर्ष 2012 तक 'विधि सहायक (LA)' के पदनाम से जाना जाता रहा है, को विभिन्न सेवाओं के निम्नलिखित पदों के समकक्ष मानते हुए उसी अनुसार वेतनमान दिये जाने की सिफारिश की गई थी –

1. Assistant Commercial Taxes Officer
2. Assistant Registrars of Co-operative Societies
3. Employment exchange officer

राज्य सरकार द्वारा डा0 सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर विधि सेवा का गठन तो कर दिया परन्तु सिफारिश के अनुसार समकक्ष सेवाओं के पदों के अनुसार वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया बल्कि उससे कमतर सेवाओं के पद के समान वेतनमान स्वीकृत किया गया।

राज्य सरकार द्वारा जिन सेवाओं के समान विधि सेवा के अधिकारियों का वेतनमान स्वीकृत किया था, उन सेवाओं का वेतनमान भी आज विधि सेवा अधिकारियों से अधिक है। यही नहीं जिन सेवाओं का वेतनमान विधि सेवा अधिकारियों से कम था। आज उनका भी वेतनमान विधि सेवा अधिकारियों से अधिक है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा विधि सेवा के अधिकारियों को समानता के

21/8/2017

मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है। विधि सेवा के साथ हुई असमानता की स्थिति को निम्नलिखित उदाहरणों से भली भांति समझा जा सकता है –

दृष्टान्त प्रथम –

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवाओं के पद के समान मानते हुए विधि सहायक के पद का वेतनमान निर्धारित किया गया था, उन सेवा के पदों का विवरण एवं षष्टम वेतन निर्धारण में उन पदों का ग्रेड–पे निम्नानुसार है –

पदनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल	वर्ष 2008 के षष्टम वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल एवं ग्रेड–पे	संलग्न
अनुसंधान छात्र (अब अ0स्कॉलर)	(राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा)	660–1240 **(स्केल नं0 13)**	9300–34800 (स्केल नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	A & B
सहायक पुरालेखपाल	(राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा)	660–1240 **(स्केल नं0 13)**	9300–34800 (स्केल नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	A & B
विधि रचनाकार	(राजस्थान विधि रचना सेवा)	660–1240 **(स्केल नं0 13)**	9300–34800 (स्केल नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	C & D
विधि सहायक (अब कनिष्ठ विधि अधिकारी)	राज0 विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा	660–1240 **(स्केल नं0 13)**	9300–34800 **(स्केल नं0 11)** ग्रेड–पे 3200 (अब 3600)	E & F

दृष्टान्त द्वितीय –

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवाओं के पदों को विधि सहायक के समकक्ष नहीं मानते हुए कम वेतनमान निर्धारित किया गया था, उन सेवाओं के पदों का विवरण एवं षष्टम वेतन निर्धारण में उन पदों का ग्रेड–पे निम्नानुसार है –

पदनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में पे–स्केल	वर्ष 2008 के षष्टम वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल एवं ग्रेड–पे	संलग्न
सहायक कृषि अधिकारी / कृषि सहायक / कृषि प्रसार अधिकारी / फार्म प्रबन्धक (जो कृषि स्नातक नहीं हैं)	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा	640–1180 (स्केल नं0 12)	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	G & H
निरीक्षक ग्रेड–I	राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा	640–1180 (स्केल नं0 12)	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	I & J
निरीक्षक ग्रेड–I	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सा0 शाखा)	640–1180 (स्केल नं0 12)	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	K & L
विधि सहायक (अब कनि0विधि अधिकारी)	राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा	**660–1240 (स्केल नं0 13)**	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 11) **ग्रेड–पे 3200** (अब 3600)	E & F

21/8/2017

उक्त तुलनात्मक स्थिति से यह स्पष्ट है कि राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों को न तो राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के समान वेतनमान प्रदान किया गया है और न ही केन्द्र की समकक्ष सेवाओं के समान वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है। पूर्व में वेतनमान की समान स्थिति को भी घटाकर नीचे की स्थिति में लाया गया है। यहां तक कि पूर्व में जिन सेवाओं को विधि सेवा अधिकारी से निम्न वेतनमान दिये जा रहे थे, उनसे भी नीचे वेतनमान कर दिये गये हैं अर्थात अन्य सेवाओं के वेतनमान में वृद्धि होती गई, जबकि विधि सेवा के वेतनमान नीचे होते गये। यह स्थिति विधि सेवा के अधिकारियों के लिए मानसिक रूप से बहुत पीड़ादायक है। इससे विधि अधिकारियों की कार्यकुशलता भी प्रभावित हो रही है। उक्त वर्णित सेवाओं के अतिरिक्त राज्य में और भी ऐसी सेवाऐं है जिनकी तुलना में विधि सेवा का वेतनमान नीचे रखा गया है।

वर्तमान में विधि सेवा के अधिकारी सेवा के गठन के उद्श्यों से भी अधिक अपेक्षा से कार्य सम्पादन कर रहे हैं और इनके प्रभावी कार्य सम्पादन से विभागाध्यक्ष, राज्य सरकार, प्रशासनिक विभाग, बोर्ड, राजकीय उपक्रम, स्थानीय निकाय आदि लाभान्वित हो रहे हैं इसके साथ ही यह अधिकारीगण प्रशासनिक निर्णय लेने में सहभागी भी हैं। सेवा के अधिकारी हमेशा ही **विपरीत परिस्थितियों में रह कर भी राज्य के हितों की संरक्षा करते हैं और इन पर दिन प्रतिदिन कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि हो रही है।**

विधि सेवा के अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार, विभागाध्यक्ष एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में वादकरण सम्बन्धी कार्य जिसमें वाद पत्र, जवाब दावा, न्यायालय के निर्णय इत्यादि का परीक्षण व परामर्श तथा विधायी प्रारुपण सम्बन्धी कार्य किया जाता है। Lites की वेबसाइटस् का संधारण किया जाता है। विधिक राय हेतु प्राप्त होने वाली पत्रावलियों पर नियम, अधिनियम की व्याख्या कर राय दी जाती है। नई नीतियों के निर्धारण में वर्तमान में उपयोगी हैं और वादकरण सम्बन्धी कार्यो के लिए तो ये रीड की हड्डी (Back bone) है।

राज. विधि सेवा के अधिकारियों के वेतनमान की स्थिति पर दृष्टिपात करने पर वे अति दयनीय स्थिति को प्रकट करते हैं। इन वेतनमानों के आधार पर जिस उत्कृष्ट श्रेणी के कार्य को सम्पादित किया जा रहा हैं उसके लिये आवंटित वेतनमान किसी भी प्रकार से समानुपातिक नहीं है जबकि विधि सेवा से कम स्तर की सेवाओं के वेतनमान राज. विधि सेवा से उच्चतर स्थिति में हैं।

कार्य करने की कठिन परिस्थिति एवं अपनी प्रोफेशनल योग्यता को देखते हुए वेतनमान की न्यूनतम स्थिति के कारण अधिकांशतः विधि सेवा के अधिकारी राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित होने के पश्चात भी इस सेवा को छोड़कर अन्य सेवाओं में जाने को मजबूर हो रहे हैं, जो राज्यहित के लिये हानिकारक है।

पांचवें वेतन आयोग के लागू होने से पूर्व तक कई सेवाओं के वेतनमान जो कि विधि सेवा के वेतनमान के समान थे, 5th वेतन आयोग में उनको विधि सेवा के मुकाबले उच्च वेतनमान प्रदान किया गया। इसी प्रकार 6th वेतन आयोग में भी विधि सेवा अधिकारियों को अन्य सेवाओं के मुकाबले निम्न वेतनमान प्रदान किया गया।

21/8/2017

विधि सेवा में प्रवेश करने वाला कनिष्ठ विधि अधिकारी सामान्य स्नातक (B.A./B.Sc./B.Com.) के साथ में विधि स्नातक की योग्यता रखता है, जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री है।

देश में ऐसा कोई पद नहीं है, जिसकी योग्यता प्रोफेशनल डिग्री (BE / B.Tech., MBBS, LLB, CA etc.) है और जिसे इतना कम वेतन (ग्रेड–पे 3600) मिल रहा हो। विधि सेवा अधिकारी वेतनमान के मामले में 12वीं योग्यताधारी सेवाओं से भी पीछे रह गये हैं।

केन्द्र सरकार में विधि सेवा को तकनीकी विशेषज्ञता का दर्जा प्राप्त होना स्वीकार किया है और इसी तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किये हैं।

विधि सेवा के सदस्यों की योग्यता, उनकी चयन प्रक्रिया एवं सम्पादित किये जाने वाले कार्य अति–महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं फिर भी राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के अधिकारियों की उपेक्षा करते हुए 5वें व 6वें वेतन आयोग की सिफारिशें अतार्किक रूप से लागू करके राज्य की समकक्ष सेवाओं एवं केन्द्रीय विधि सेवा के वेतनमान की तुलना में अत्यधिक अन्तर करके कम वेतनमान दिया गया है। इस पर विचार कर तर्कसंगत एवं न्यायपूर्ण निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

उक्त स्थिति के आधार पर यद्यपि कनिष्ठ विधि अधिकारी को कम से कम 4800 ग्रेड–पे स्वीकृत होना चाहिए परन्तु पूर्व में स्वीकृत किये गये वेतनमान को ही राज्य सरकार द्वारा कम किये जाने के कारण जो विसंगति पैदा हुई है, अब उसी को सुधारने का बिन्दु विचारणीय है, जिसके अनुसार तत्कालीन विधि सहायक (अब कनिष्ठ विधि अधिकारी) को 5वें व 6वें वेतनमान में स्वीकृत वेतनमान के कारण उत्पन्न हुई गम्भीर विसंगति को सुधारते हुए रनिंग पे–बैण्ड 9300–34800 में ग्रेड–पे 3600 के स्थान पर ग्रेड–पे 4200 स्वीकृत की जानी चाहिए।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य में कनिष्ठ विधि अधिकारीगण की कुल कैडर स्ट्रेन्थ 205 है, जिनमें से वर्तमान में मात्र 129 कनिष्ठ विधि अधिकारीगण ही कार्यरत हैं, जिनका **ग्रेड–पे 3600 के स्थान पर 4200 करने पर कुल वित्तीय भार लगभग 22 लाख रूपये वार्षिक से भी कम आएगा** जो कि नगण्य है।

अतः नम्र निवेदन है कि विधि सहायक (अब कनिष्ठ विधि अधिकारी) को 5वें व 6वें वेतनमान में स्वीकृत कम वेतनमान के कारण उत्पन्न हुई गम्भीर विसंगति को सुधारते हुए रनिंग पे–बैण्ड 9300–34800 में **ग्रेड–पे 3600 के स्थान पर ग्रेड–पे 4200 स्वीकृत करवाने की कृपा करें।**

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

21/8/2017

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद
मो0 :– 94613–02549

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः–कमरा नं. 1007, विधि विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक सं. राज./वि.सेवा/परिषद/01/2017 दिनांकः 23.8.2017

ज्ञापन

सेवामें,

श्रीमान राजेन्द्र सिंह राठौड़,
माननीय अध्यक्ष महोदय,
कार्मिक मामलों से सम्बन्धित मंत्रिमण्डलीय उप समिति,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO) के वेतनमान की विसंगति दूर करने बाबत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य में बढ़ते हुए राजकीय वादकरण को दृष्टिगत रखते हुए वादों के सुचारू संचालन/निस्तारण तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु विद्वान महाधिवक्ता डा. एल. एम. सिंघवी की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा विधिक सेवा के गठन की सिफारिश की गई थी। विधि सेवा के अधिकारियों का स्टेटस निर्धारित करने के लिए विधि सेवा के सबसे कनिष्ठ पद 'कनिष्ठ विधिक अधिकारी (JLO)' जिसे राजस्थान विधिक सेवा के गठन से वर्ष 2012 तक 'विधि सहायक (LA)' के पदनाम से जाना जाता रहा है, को विभिन्न सेवाओं के निम्नलिखित पदों के समकक्ष मानते हुए उसी अनुसार वेतनमान दिये जाने की सिफारिश की गई थी –

1. Assistant Commercial Taxes Officer
2. Assistant Registrars of Co-operative Societies
3. Employment exchange officer

राज्य सरकार द्वारा डा0 सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर विधि सेवा का गठन तो कर दिया परन्तु सिफारिश के अनुसार समकक्ष सेवाओं के पदो के अनुसार वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया बल्कि उससे कमतर सेवाओं के पद के समान वेतनमान स्वीकृत किया गया।

राज्य सरकार द्वारा जिन सेवाओं के समान विधि सेवा के अधिकारियों का वेतनमान स्वीकृत किया था, उन सेवाओं का वेतनमान भी आज विधि सेवा अधिकारियों से अधिक है। यही नहीं जिन सेवाओं का वेतनमान विधि सेवा अधिकारियों से कम था। आज उनका भी वेतनमान विधि सेवा अधिकारियों से अधिक है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा विधि सेवा के अधिकारियों को समानता के

23/8/2017

मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है। विधि सेवा के साथ हुई असमानता की स्थिति को निम्नलिखित उदाहरणों से भली भांति समझा जा सकता है –

दृष्टान्त प्रथम –

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवाओं के पद के समान मानते हुए विधि सहायक के पद का वेतनमान निर्धारित किया गया था, उन सेवा के पदों का विवरण एवं षष्टम वेतन निर्धारण में उन पदों का ग्रेड–पे निम्नानुसार है –

पदनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल	वर्ष 2008 के षष्टम वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल एवं ग्रेड–पे	संलग्न
अनुसंधान छात्र (अब अ0स्कॉलर)	(राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा)	660–1240 **(स्केल नं0 13)**	9300–34800 (स्केल नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	A & B
सहायक पुरालेखपाल	(राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा)	660–1240 **(स्केल नं0 13)**	9300–34800 (स्केल नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	A & B
विधि रचनाकार	(राजस्थान विधि रचना सेवा)	660–1240 **(स्केल नं0 13)**	9300–34800 (स्केल नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	C & D
विधि सहायक (अब कनिष्ठ विधि अधिकारी)	राज0 विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा	660–1240 **(स्केल नं0 13)**	9300–34800 **(स्केल नं0 11)** ग्रेड–पे 3200 (अब 3600)	E & F

दृष्टान्त द्वितीय –

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवाओं के पदों को विधि सहायक के समकक्ष नहीं मानते हुए कम वेतनमान निर्धारित किया गया था, उन सेवाओं के पदों का विवरण एवं षष्टम वेतन निर्धारण में उन पदों का ग्रेड–पे निम्नानुसार है –

प्दनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में पे–स्केल	वर्ष 2008 के षष्टम वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल एवं ग्रेड–पे	संलग्न
सहायक कृषि अधिकारी / कृषि सहायक / कृषि प्रसार अधिकारी / फार्म प्रबन्धक (जो कृषि स्नातक नहीं हैं)	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा	640–1180 (स्केल नं0 12)	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	G & H
निरीक्षक ग्रेड–I	राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा	640–1180 (स्केल नं0 12)	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	I & J
निरीक्षक ग्रेड–I	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सा0 शाखा)	640–1180 (स्केल नं0 12)	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	K & L
विधि सहायक (अब कनि0विधि अधिकारी)	राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा	**660–1240 (स्केल नं0 13)**	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 11) **ग्रेड–पे 3200** (अब 3600)	E & F

23/8/2017

उक्त तुलनात्मक स्थिति से यह स्पष्ट है कि राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों को न तो राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के समान वेतनमान प्रदान किया गया है और न ही केन्द्र की समकक्ष सेवाओं के समान वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है। पूर्व में वेतनमान की समान स्थिति को भी घटाकर नीचे की स्थिति में लाया गया है। यहां तक कि पूर्व में जिन सेवाओं को विधि सेवा अधिकारी से निम्न वेतनमान दिये जा रहे थे, उनसे भी नीचे वेतनमान कर दिये गये हैं अर्थात अन्य सेवाओं के वेतनमान में वृद्धि होती गई, जबकि विधि सेवा के वेतनमान नीचे होते गये। यह स्थिति विधि सेवा के अधिकारियों के लिए मानसिक रूप से बहुत पीड़ादायक है। इससे विधि अधिकारियों की कार्यकुशलता भी प्रभावित हो रही है। उक्त वर्णित सेवाओं के अतिरिक्त राज्य में और भी ऐसी सेवाऐं है जिनकी तुलना में विधि सेवा का वेतनमान नीचे रखा गया है।

वर्तमान में विधि सेवा के अधिकारी सेवा के गठन के उद्श्यों से भी अधिक अपेक्षा से कार्य सम्पादन कर रहे हैं और इनके प्रभावी कार्य सम्पादन से विभागाध्यक्ष, राज्य सरकार, प्रशासनिक विभाग, बोर्ड, राजकीय उपक्रम, स्थानीय निकाय आदि लाभान्वित हो रहे हैं इसके साथ ही यह अधिकारीगण प्रशासनिक निर्णय लेने में सहभागी भी हैं। सेवा के अधिकारी हमेशा ही **विपरीत परिस्थितियों में रह कर भी राज्य के हितों की संरक्षा करते हैं और इन पर दिन प्रतिदिन कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि हो रही है।**

विधि सेवा के अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार, विभागाध्यक्ष एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में वादकरण सम्बन्धी कार्य जिसमें वाद पत्र, जवाब दावा, न्यायालय के निर्णय इत्यादि का परीक्षण व परामर्श तथा विधायी प्रारुपण सम्बन्धी कार्य किया जाता है। Lites की वेबसाइटस् का संधारण किया जाता है। विधिक राय हेतु प्राप्त होने वाली पत्रावलियों पर नियम, अधिनियम की व्याख्या कर राय दी जाती है। नई नीतियों के निर्धारण में वर्तमान में उपयोगी हैं और वादकरण सम्बन्धी कार्यो के लिए तो ये रीड की हड्डी (Back bone) है।

राज. विधि सेवा के अधिकारियों के वेतनमान की स्थिति पर दृष्टिपात करने पर वे अति दयनीय स्थिति को प्रकट करते हैं। इन वेतनमानों के आधार पर जिस उत्कृष्ट श्रेणी के कार्य को सम्पादित किया जा रहा हैं उसके लिये आवंटित वेतनमान किसी भी प्रकार से समानुपातिक नहीं है जबकि विधि सेवा से कम स्तर की सेवाओं के वेतनमान राज. विधि सेवा से उच्चतर स्थिति में हैं।

कार्य करने की कठिन परिस्थिति एवं अपनी प्रोफेशनल योग्यता को देखते हुए वेतनमान की न्यूनतम स्थिति के कारण अधिकांशतः विधि सेवा के अधिकारी राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित होने के पश्चात भी इस सेवा को छोड़कर अन्य सेवाओं में जाने को मजबूर हो रहे हैं, जो राज्यहित के लिये हानिकारक है।

पांचवें वेतन आयोग के लागू होने से पूर्व तक कई सेवाओं के वेतनमान जो कि विधि सेवा के वेतनमान के समान थे, 5th वेतन आयोग में उनको विधि सेवा के मुकाबले उच्च वेतनमान प्रदान किया गया। इसी प्रकार 6th वेतन आयोग में भी विधि सेवा अधिकारियों को अन्य सेवाओं के मुकाबले निम्न वेतनमान प्रदान किया गया।

23/8/2017

विधि सेवा में प्रवेश करने वाला कनिष्ठ विधि अधिकारी सामान्य स्नातक (B.A./B.Sc./B.Com.) के साथ में विधि स्नातक की योग्यता रखता है, जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री है।

देश में ऐसा कोई पद नहीं है, जिसकी योग्यता प्रोफेशनल डिग्री (BE / B.Tech., MBBS, LLB, CA etc.) है और जिसे इतना कम वेतन (ग्रेड–पे 3600) मिल रहा हो। विधि सेवा अधिकारी वेतनमान के मामले में 12वीं योग्यताधारी सेवाओं से भी पीछे रह गये हैं।

केन्द्र सरकार में विधि सेवा को तकनीकी विशेषज्ञता का दर्जा प्राप्त होना स्वीकार किया है और इसी तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किये हैं।

विधि सेवा के सदस्यों की योग्यता, उनकी चयन प्रक्रिया एवं सम्पादित किये जाने वाले कार्य अति–महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं फिर भी राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के अधिकारियों की उपेक्षा करते हुए 5वें व 6वें वेतन आयोग की सिफारिशें अतार्किक रूप से लागू करके राज्य की समकक्ष सेवाओं एवं केन्द्रीय विधि सेवा के वेतनमान की तुलना में अत्यधिक अन्तर करके कम वेतनमान दिया गया है। इस पर विचार कर तर्कसंगत एवं न्यायपूर्ण निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

उक्त स्थिति के आधार पर यद्यपि कनिष्ठ विधि अधिकारी को कम से कम 4800 ग्रेड–पे स्वीकृत होना चाहिए परन्तु पूर्व में स्वीकृत किये गये वेतनमान को ही राज्य सरकार द्वारा कम किये जाने के कारण जो विसंगति पैदा हुई है, अब उसी को सुधारने का बिन्दु विचारणीय है, जिसके अनुसार तत्कालीन विधि सहायक (अब कनिष्ठ विधि अधिकारी) को 5वें व 6वें वेतनमान में स्वीकृत वेतनमान के कारण उत्पन्न हुई गम्भीर विसंगति को सुधारते हुए रनिंग पे–बैण्ड 9300–34800 में ग्रेड–पे 3600 के स्थान पर ग्रेड–पे 4200 स्वीकृत की जानी चाहिए।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य में कनिष्ठ विधि अधिकारीगण की कुल कैडर स्ट्रेन्थ 205 है, जिनमें से वर्तमान में मात्र 129 कनिष्ठ विधि अधिकारीगण ही कार्यरत हैं, जिनका **ग्रेड–पे 3600 के स्थान पर 4200 करने पर कुल वित्तीय भार लगभग 22 लाख रूपये वार्षिक से भी कम आएगा** जो कि नगण्य है।

अतः नम्र निवेदन है कि विधि सहायक (अब कनिष्ठ विधि अधिकारी) को 5वें व 6वें वेतनमान में स्वीकृत कम वेतनमान के कारण उत्पन्न हुई गम्भीर विसंगति को सुधारते हुए रनिंग पे–बैण्ड 9300–34800 में **ग्रेड–पे 3600 के स्थान पर ग्रेड–पे 4200 स्वीकृत करवाने की कृपा करें।**

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

23/8/2017

(जितेन्द्र सिंह)

अध्यक्ष

राजस्थान विधि सेवा परिषद

मो0 :– 94613–02549

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः—कमरा नं. 1007, विधि विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक सं. 04 दिनांकः 23/8/2017

ज्ञापन

सेवामें,

श्रीमान राजेन्द्र सिंह राठौड़,
माननीय अध्यक्ष महोदय,
कार्मिक मामलों से सम्बन्धित मंत्रिमण्डलीय उप समिति,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :— कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO) के वेतनमान की विसंगति दूर करने बाबत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य में बढ़ते हुए राजकीय वादकरण को दृष्टिगत रखते हुए वादों के सुचारू संचालन/निस्तारण तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु विद्वान महाधिवक्ता डा. एल. एम. सिंघवी की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा विधिक सेवा के गठन की सिफारिश की गई थी। विधि सेवा के अधिकारियों का स्टेटस निर्धारित करने के लिए विधि सेवा के सबसे कनिष्ठ पद 'कनिष्ठ विधिक अधिकारी (JLO)' जिसे राजस्थान विधिक सेवा के गठन से **वर्ष 2012** तक 'विधि सहायक (LA)' के पदनाम से जाना जाता रहा है, को विभिन्न सेवाओं के निम्नलिखित पदों के समकक्ष मानते हुए उसी अनुसार वेतनमान दिये जाने की सिफारिश की गई थी —

1. Assistant Commercial Taxes Officer
2. Assistant Registrars of Co-operative Societies
3. Employment exchange officer

राज्य सरकार द्वारा डा0 सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर विधि सेवा का गठन तो कर दिया परन्तु सिफारिश के अनुसार समकक्ष सेवाओं के पदो के अनुसार वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया बल्कि उससे कमतर सेवाओं के पद के समान वेतनमान स्वीकृत किया गया।

राज्य सरकार द्वारा जिन सेवाओं के समान विधि सेवा के अधिकारियों का वेतनमान स्वीकृत किया था, उन सेवाओं का वेतनमान भी आज विधि सेवा अधिकारियों से अधिक है। यही नहीं जिन सेवाओं का वेतनमान विधि सेवा अधिकारियों से कम था। आज उनका भी वेतनमान विधि सेवा अधिकारियों से अधिक है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा विधि सेवा के अधिकारियों को समानता के

23/8/2017

मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है। विधि सेवा के साथ हुई असमानता की स्थिति को निम्नलिखित उदाहरणों से भली भांति समझा जा सकता है –

दृष्टान्त प्रथम –

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवाओं के पद के समान मानते हुए विधि सहायक के पद का वेतनमान निर्धारित किया गया था, उन सेवा के पदों का विवरण एवं षष्टम वेतन निर्धारण में उन पदों का ग्रेड–पे निम्नानुसार है –

पदनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल	वर्ष 2008 के षष्टम वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल एवं ग्रेड–पे	संलग्न
अनुसंधान छात्र (अब अ0स्कॉलर)	(राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा)	660–1240 **(स्केल नं0 13)**	9300–34800 (स्केल नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	A & B
सहायक पुरालेखपाल	(राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा)	660–1240 **(स्केल नं0 13)**	9300–34800 (स्केल नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	A & B
विधि रचनाकार	(राजस्थान विधि रचना सेवा)	660–1240 **(स्केल नं0 13)**	9300–34800 (स्केल नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	C & D
विधि सहायक (अब कनिष्ठ विधि अधिकारी)	राज0 विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा	660–1240 **(स्केल नं0 13)**	9300–34800 **(स्केल नं0 11)** ग्रेड–पे 3200 (अब 3600)	E & F

दृष्टान्त द्वितीय :–

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवाओं के पदों को विधि सहायक के समकक्ष नहीं मानते हुए कम वेतनमान निर्धारित किया गया था, उन सेवाओं के पदों का विवरण एवं षष्टम वेतन निर्धारण में उन पदों का ग्रेड–पे निम्नानुसार है –

प्दनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में पे–स्केल	वर्ष 2008 के षष्टम वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल एवं ग्रेड–पे	संलग्न
सहायक कृषि अधिकारी / कृषि सहायक / कृषि प्रसार अधिकारी / फार्म प्रबन्धक (जो कृषि स्नातक नहीं हैं)	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा	640–1180 (स्केल नं0 12)	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	G & H
निरीक्षक ग्रेड–I	राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा	640–1180 (स्केल नं0 12)	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	I & J
निरीक्षक ग्रेड–I	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सा0 शाखा)	640–1180 (स्केल नं0 12)	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	K & L
विधि सहायक (अब कनि0विधि अधिकारी)	राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा	**660–1240 (स्केल नं0 13)**	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 11) **ग्रेड–पे 3200** (अब 3600)	E & F

23/8/2017

उक्त तुलनात्मक स्थिति से यह स्पष्ट है कि राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों को न तो राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के समान वेतनमान प्रदान किया गया है और न ही केन्द्र की समकक्ष सेवाओं के समान वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है। पूर्व में वेतनमान की समान स्थिति को भी घटाकर नीचे की स्थिति में लाया गया है। यहां तक कि पूर्व में जिन सेवाओं को विधि सेवा अधिकारी से निम्न वेतनमान दिये जा रहे थे, उनसे भी नीचे वेतनमान कर दिये गये हैं अर्थात अन्य सेवाओं के वेतनमान में वृद्धि होती गई, जबकि विधि सेवा के वेतनमान नीचे होते गये। यह स्थिति विधि सेवा के अधिकारियों के लिए मानसिक रूप से बहुत पीड़ादायक है। इससे विधि अधिकारियों की कार्यकुशलता भी प्रभावित हो रही है। उक्त वर्णित सेवाओं के अतिरिक्त राज्य में और भी ऐसी सेवाऐं है जिनकी तुलना में विधि सेवा का वेतनमान नीचे रखा गया है।

वर्तमान में विधि सेवा के अधिकारी सेवा के गठन के उद्श्यों से भी अधिक अपेक्षा से कार्य सम्पादन कर रहे हैं और इनके प्रभावी कार्य सम्पादन से विभागाध्यक्ष, राज्य सरकार, प्रशासनिक विभाग, बोर्ड, राजकीय उपक्रम, स्थानीय निकाय आदि लाभान्वित हो रहे हैं इसके साथ ही यह अधिकारीगण प्रशासनिक निर्णय लेने में सहभागी भी हैं। सेवा के अधिकारी हमेशा ही **विपरीत परिस्थितियों में रह कर भी राज्य के हितों की संरक्षा करते हैं और इन पर दिन प्रतिदिन कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि हो रही है।**

विधि सेवा के अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार, विभागाध्यक्ष एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में वादकरण सम्बन्धी कार्य जिसमें वाद पत्र, जवाब दावा, न्यायालय के निर्णय इत्यादि का परीक्षण व परामर्श तथा विधायी प्रारुपण सम्बन्धी कार्य किया जाता है। Lites की वेबसाइटस् का संधारण किया जाता है। विधिक राय हेतु प्राप्त होने वाली पत्रावलियों पर नियम, अधिनियम की व्याख्या कर राय दी जाती है। नई नीतियों के निर्धारण में वर्तमान में उपयोगी हैं और वादकरण सम्बन्धी कार्यो के लिए तो ये रीड की हड्डी (Back bone) है।

राज. विधि सेवा के अधिकारियों के वेतनमान की स्थिति पर दृष्टिपात करने पर वे अति दयनीय स्थिति को प्रकट करते हैं। इन वेतनमानों के आधार पर जिस उत्कृष्ट श्रेणी के कार्य को सम्पादित किया जा रहा हैं उसके लिये आवंटित वेतनमान किसी भी प्रकार से समानुपातिक नहीं है जबकि विधि सेवा से कम स्तर की सेवाओं के वेतनमान राज. विधि सेवा से उच्चतर स्थिति में हैं।

कार्य करने की कठिन परिस्थिति एवं अपनी प्रोफेशनल योग्यता को देखते हुए वेतनमान की न्यूनतम स्थिति के कारण अधिकांशतः विधि सेवा के अधिकारी राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित होने के पश्चात भी इस सेवा को छोड़कर अन्य सेवाओं में जाने को मजबूर हो रहे हैं, जो राज्यहित के लिये हानिकारक है।

पांचवें वेतन आयोग के लागू होने से पूर्व तक कई सेवाओं के वेतनमान जो कि विधि सेवा के वेतनमान के समान थे, 5th वेतन आयोग में उनको विधि सेवा के मुकाबले उच्च वेतनमान प्रदान किया गया। इसी प्रकार 6th वेतन आयोग में भी विधि सेवा अधिकारियों को अन्य सेवाओं के मुकाबले निम्न वेतनमान प्रदान किया गया।

23/8/2017

विधि सेवा में प्रवेश करने वाला कनिष्ठ विधि अधिकारी सामान्य स्नातक (B.A./B.Sc./B.Com.) के साथ में विधि स्नातक की योग्यता रखता है, जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री है।

देश में ऐसा कोई पद नहीं है, जिसकी योग्यता प्रोफेशनल डिग्री (BE / B.Tech., MBBS, LLB, CA etc.) है और जिसे इतना कम वेतन (ग्रेड–पे 3600) मिल रहा हो। विधि सेवा अधिकारी वेतनमान के मामले में 12वीं योग्यताधारी सेवाओं से भी पीछे रह गये हैं।

केन्द्र सरकार में विधि सेवा को तकनीकी विशेषज्ञता का दर्जा प्राप्त होना स्वीकार किया है और इसी तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किये हैं।

विधि सेवा के सदस्यों की योग्यता, उनकी चयन प्रक्रिया एवं सम्पादित किये जाने वाले कार्य अति–महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं फिर भी राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के अधिकारियों की उपेक्षा करते हुए 5वें व 6वें वेतन आयोग की सिफारिशें अतार्किक रूप से लागू करके राज्य की समकक्ष सेवाओं एवं केन्द्रीय विधि सेवा के वेतनमान की तुलना में अत्यधिक अन्तर करके कम वेतनमान दिया गया है। इस पर विचार कर तर्कसंगत एवं न्यायपूर्ण निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

उक्त स्थिति के आधार पर यद्यपि कनिष्ठ विधि अधिकारी को कम से कम 4800 ग्रेड–पे स्वीकृत होना चाहिए परन्तु पूर्व में स्वीकृत किये गये वेतनमान को ही राज्य सरकार द्वारा कम किये जाने के कारण जो विसंगति पैदा हुई है, अब उसी को सुधारने का बिन्दु विचारणीय है, जिसके अनुसार तत्कालीन विधि सहायक (अब कनिष्ठ विधि अधिकारी) को 5वें व 6वें वेतनमान में स्वीकृत वेतनमान के कारण उत्पन्न हुई गम्भीर विसंगति को सुधारते हुए रनिंग पे–बैण्ड 9300–34800 में ग्रेड–पे 3600 के स्थान पर ग्रेड–पे 4200 स्वीकृत की जानी चाहिए।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य में कनिष्ठ विधि अधिकारीगण की कुल कैडर स्ट्रेन्थ 205 है, जिनमें से वर्तमान में मात्र 129 कनिष्ठ विधि अधिकारीगण ही कार्यरत हैं, जिनका **ग्रेड–पे 3600 के स्थान पर 4200 करने पर कुल वित्तीय भार लगभग 22 लाख रूपये वार्षिक से भी कम आएगा** जो कि नगण्य है।

अतः नम्र निवेदन है कि विधि सहायक (अब कनिष्ठ विधि अधिकारी) को 5वें व 6वें वेतनमान में स्वीकृत कम वेतनमान के कारण उत्पन्न हुई गम्भीर विसंगति को सुधारते हुए रनिंग पे–बैण्ड 9300–34800 में **ग्रेड–पे 3600 के स्थान पर ग्रेड–पे 4200 स्वीकृत करवाने की कृपा करें।**

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

23/8/2017

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद
मो0 :– 94613–02549

07C

Raj. e-office 31977

07 SEP 2017

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः—कमरा नं. 1007, विधि विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक सं. राज0वि.से.प./2017/14 दिनांकः04-09-2017

ज्ञापन

सेवामें,

श्रीमान पुष्पेन्द्र सिंह,
माननीय राज्य मंत्री, विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :— विधि सेवा अधिकारियों के वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने बाबत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य में बढ़ते हुए राजकीय वादकरण को दृष्टिगत रखते हुए वादों के सुचारू संचालन/निस्तारण तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु विद्वान महाधिवक्ता डा. एल. एम. सिंघवी की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा विधिक सेवा के गठन की सिफारिश की गई थी। विधि सेवा के अधिकारियों का स्टेटस निर्धारित करने के लिए विधि सेवा के सबसे कनिष्ठ पद 'कनिष्ठ विधिक अधिकारी (JLO)' जिसे राजस्थान विधिक सेवा के गठन से वर्ष 2012 तक 'विधि सहायक (LA)' के पदनाम से जाना जाता रहा है, को विभिन्न सेवाओं के निम्नलिखित पदों के समकक्ष मानते हुए उसी अनुसार वेतनमान दिये जाने की सिफारिश की गई थी —

1. Assistant Commercial Taxes Officer
2. Assistant Registrars of Co-operative Societies
3. Employment exchange officer

राज्य सरकार द्वारा डा0 सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर विधि सेवा का गठन तो कर दिया परन्तु सिफारिश के अनुसार समकक्ष सेवाओं के पदो के अनुसार वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया बल्कि उससे कमतर सेवाओं के पद के समान वेतनमान स्वीकृत किया गया।

राज्य सरकार द्वारा जिन सेवाओं के समान विधि सेवा के अधिकारियों का वेतनमान स्वीकृत किया था, उन सेवाओं का वेतनमान भी आज विधि सेवा अधिकारियों से अधिक है। यही नहीं जिन सेवाओं का वेतनमान विधि सेवा अधिकारियों से कम था। आज उनका भी वेतनमान विधि सेवा अधिकारियों से अधिक है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा विधि सेवा के अधिकारियों को समानता के

मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है। विधि सेवा के साथ हुई असमानता की स्थिति को निम्नलिखित उदाहरणों से भली भांति समझा जा सकता है –

दृष्टान्त प्रथम –

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवाओं के पद के समान मानते हुए विधि सहायक के पद का वेतनमान निर्धारित किया गया था, उन सेवा के पदों का विवरण एवं षष्टम वेतन निर्धारण में उन पदों का ग्रेड–पे निम्नानुसार है –

पदनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल	वर्ष 2008 के षष्टम वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल एवं ग्रेड–पे	संलग्न
अनुसंधान छात्र (अब अ0स्कॉलर)	(राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा)	660–1240 (स्केल नं0 13)	9300–34800 (स्केल नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	A & B
सहायक पुरालेखपाल	(राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा)	660–1240 (स्केल नं0 13)	9300–34800 (स्केल नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	A & B
विधि रचनाकार	(राजस्थान विधि रचना सेवा)	660–1240 (स्केल नं0 13)	9300–34800 (स्केल नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	C & D
विधि सहायक (अब कनिष्ठ विधि अधिकारी)	राज0 विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा	660–1240 (स्केल नं0 13)	9300–34800 (स्केल नं0 11) ग्रेड–पे 3200 (अब 3600)	E & F

दृष्टान्त द्वितीय --

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवाओं के पदों को विधि सहायक के समकक्ष नहीं मानते हुए कम वेतनमान निर्धारित किया गया था, उन सेवाओं के पदों का विवरण एवं षष्टम वेतन निर्धारण में उन पदों का ग्रेड–पे निम्नानुसार है –

पदनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में पे–स्केल	वर्ष 2008 के षष्टम वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल एवं ग्रेड–पे	संलग्न
सहायक कृषि अधिकारी/कृषि सहायक/कृषि प्रसार अधिकारी/फार्म प्रबन्धक (जो कृषि स्नातक नहीं हैं)	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा	640–1180 (स्केल नं0 12)	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	G & H
निरीक्षक ग्रेड–I	राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा	640–1180 (स्केल नं0 12)	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	I & J
निरीक्षक ग्रेड–I	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सा0 शाखा)	640–1180 (स्केल नं0 12)	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	K & L
विधि सहायक (अब कनि0विधि अधिकारी)	राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा	**660–1240 (स्केल नं0 13)**	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 11) ग्रेड–पे 3200 (अब 3600)	E & F

उक्त तुलनात्मक स्थिति से यह स्पष्ट है कि राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों को न तो राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के समान वेतनमान प्रदान किया गया है और न ही केन्द्र की समकक्ष सेवाओं के समान वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है। पूर्व में वेतनमान की समान स्थिति को भी घटाकर नीचे की स्थिति में लाया गया है। यहां तक कि पूर्व में जिन सेवाओं को विधि सेवा अधिकारी से निम्न वेतनमान दिये जा रहे थे, उनसे भी नीचे वेतनमान कर दिये गये हैं अर्थात अन्य सेवाओं के वेतनमान में वृद्धि होती गई, जबकि विधि सेवा के वेतनमान नीचे होते गये। यह स्थिति विधि सेवा के अधिकारियों के लिए मानसिक रूप से बहुत पीड़ादायक है। इससे विधि अधिकारियों की कार्यकुशलता भी प्रभावित हो रही है। उक्त वर्णित सेवाओं के अतिरिक्त राज्य में और भी ऐसी सेवाऐं है जिनकी तुलना में विधि सेवा का वेतनमान नीचे रखा गया है।

वर्तमान में विधि सेवा के अधिकारी सेवा के गठन के उद्श्यों से भी अधिक अपेक्षा से कार्य सम्पादन कर रहे हैं और इनके प्रभावी कार्य सम्पादन से विभागाध्यक्ष, राज्य सरकार, प्रशासनिक विभाग, बोर्ड, राजकीय उपक्रम, स्थानीय निकाय आदि लाभान्वित हो रहे हैं इसके साथ ही यह अधिकारीगण प्रशासनिक निर्णय लेने में सहभागी भी हैं। सेवा के अधिकारी हमेशा ही विपरीत परिस्थितियों में रह कर भी राज्य के हितों की संरक्षा करते हैं और इन पर दिन प्रतिदिन कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि हो रही है।

विधि सेवा के अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार, विभागाध्यक्ष एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में वादकरण सम्बन्धी कार्य जिसमें वाद पत्र, जवाब दावा, न्यायालय के निर्णय इत्यादि का परीक्षण व परामर्श तथा विधायी प्रारुपण सम्बन्धी कार्य किया जाता है। Lites की वेबसाइटस् का संधारण किया जाता है। विधिक राय हेतु प्राप्त होने वाली पत्रावलियों पर नियम, अधिनियम की व्याख्या कर राय दी जाती है। नई नीतियों के निर्धारण में वर्तमान में उपयोगी हैं और वादकरण सम्बन्धी कार्यो के लिए तो ये रीड की हड्डी (Back bone) है।

राज. विधि सेवा के अधिकारियों के वेतनमान की स्थिति पर दृष्टिपात करने पर वे अति दयनीय स्थिति को प्रकट करते हैं। इन वेतनमानों के आधार पर जिस उत्कृष्ट श्रेणी के कार्य को सम्पादित किया जा रहा हैं उसके लिये आवंटित वेतनमान किसी भी प्रकार से समानुपातिक नहीं है जबकि विधि सेवा से कम स्तर की सेवाओं के वेतनमान राज. विधि सेवा से उच्चतर स्थिति में हैं।

कार्य करने की कठिन परिस्थिति एवं अपनी प्रोफेशनल योग्यता को देखते हुए वेतनमान की न्यूनतम स्थिति के कारण अधिकांशतः विधि सेवा के अधिकारी राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित होने के पश्चात भी इस सेवा को छोड़कर अन्य सेवाओं में जाने को मजबूर हो रहे हैं, जो राज्यहित के लिये हानिकारक है।

पांचवें वेतन आयोग के लागू होने से पूर्व तक कई सेवाओं के वेतनमान जो कि विधि सेवा के वेतनमान के समान थे, 5th वेतन आयोग में उनको विधि सेवा के मुकाबले उच्च वेतनमान प्रदान किया गया। इसी प्रकार 6th वेतन आयोग में भी विधि सेवा अधिकारियों को अन्य सेवाओं के मुकाबले निम्न वेतनमान प्रदान किया गया।

विधि सेवा में प्रवेश करने वाला कनिष्ठ विधि अधिकारी सामान्य स्नातक (B.A./B.Sc./B.Com.) के साथ में विधि स्नातक की योग्यता रखता है, जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री है।

देश में ऐसा कोई पद नहीं है, जिसकी योग्यता प्रोफेशनल डिग्री (BE / B.Tech., MBBS, LLB, CA etc.) है और जिसे इतना कम वेतन (ग्रेड–पे 3600) मिल रहा हो। विधि सेवा अधिकारी वेतनमान के मामले में 12वीं योग्यताधारी सेवाओं से भी पीछे रह गये हैं।

केन्द्र सरकार में विधि सेवा को तकनीकी विशेषज्ञता का दर्जा प्राप्त होना स्वीकार किया है और इसी तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किये हैं।

विधि सेवा के सदस्यों की योग्यता, उनकी चयन प्रक्रिया एवं सम्पादित किये जाने वाले कार्य अति–महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं फिर भी राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के अधिकारियों की उपेक्षा करते हुए 5वें व 6वें वेतन आयोग की सिफारिशें अतार्किक रूप से लागू करके राज्य की समकक्ष सेवाओं एवं केन्द्रीय विधि सेवा के वेतनमान की तुलना में अत्यधिक अन्तर करके कम वेतनमान दिया गया है। इस पर विचार कर तर्कसंगत एवं न्यायपूर्ण निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

उक्त स्थिति के आधार पर यद्यपि कनिष्ठ विधि अधिकारी को कम से कम 4800 ग्रेड–पे स्वीकृत होना चाहिए परन्तु पूर्व में स्वीकृत किये गये वेतनमान को ही राज्य सरकार द्वारा कम किये जाने के कारण जो विसंगति पैदा हुई है, अब उसी को सुधारने का बिन्दु विचारणीय है, जिसके अनुसार तत्कालीन विधि सहायक (अब कनिष्ठ विधि अधिकारी) को 5वें व 6वें वेतनमान में स्वीकृत वेतनमान के कारण उत्पन्न हुई गम्भीर विसंगति को सुधारते हुए रनिंग पे–बैण्ड 9300–34800 में ग्रेड–पे 3600 के स्थान पर ग्रेड–पे 4200 स्वीकृत की जानी चाहिए। तद्नरूप ही विधि सेवा के अधिकारियों को निम्नवत् वेतनमान स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है –

क्र.सं.	पद	वर्तमान वेतनमान मय ग्रेड–पे	वांछित वेतनमान मय ग्रेड–पे
1.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	9300–34800 (3600/– ग्रेड पे)	9300–34800 (4200/– ग्रेड पे)
2.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	9300–34800 (4800/– ग्रेड पे)	15600–39100 (5400/– ग्रेड पे)
3.	सहायक विधि परामर्शी	15600–39100 (6000/– ग्रेड पे)	15600–39100 (6600/– ग्रेड पे)
4.	उप विधि परामर्शी	15600–39100 (7200/– ग्रेड पे)	15600–39100 (7600/– ग्रेड पे)
5.	संयुक्त विधि परामर्शी	15600–39100 (8200/– ग्रेड पे)	37400–67000 (8700/– ग्रेड पे)
6.	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	37400–67000 (8700/– ग्रेड पे)	37400–67000 (9500/– ग्रेड पे)

अतः विनम्र निवेदन है कि विधि सेवा के अधिकारीगण को उपरोक्तानुसार वेतनमान स्वीकृत कराने की संस्तुती, 7th वेतन आयोग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग को भिजवाकर अनुग्रहित करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद्
मो0 :– 94613–02549

Raj-e-office 31953

7 SEP 2017

राजस्थान सरकार

कार्यालय राज्य मंत्री, ऊर्जा, विधि एवं विधिक कार्य विभाग और विधि परामर्शी कार्यालय

Kaj/31596/2017

06/09/2017 **विषयः- विधि सेवा अधिकारियों के वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने बाबत्।**

विषयान्तर्गत, अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद् द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत ज्ञापन की प्रति संलग्न कर लेख है कि मार्क "ए" पर दर्शित ग्रेड पे के संबंध में अपनी विस्तृत तथ्यात्मक टिप्पणी यथाशीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

6 SEP 2017

(पुष्पेन्द्र सिंह)
राज्यमंत्री

प्रमुख शासन सचिव, विधि,
शासन सचिवालय, जयपुर।
अ.शा.टीप क्रमांकः ऊरामं/17/212
जयपुर, दिनांक :05.09.2017

6/9/17

टिप्पणी (क्रमिक)

टिप्पणी संख्या   पृ.सं.2

1 विचाराधीन पत्र का पृष्ठ 1–17/सी पर अवलोकन करे। राजस्थान विधि सेवा परिषद्, जयपुर ने माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

2 माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय ने ज्ञापन में पृष्ठ–5/सी में मार्क–'ए' पर दर्शित ग्रेड पे के संबंध में विस्तृत तथ्यात्मक टिप्पणी अनुच्छेद–1/एन से चाही है। राजस्थान विधि सेवा परिषद्, जयपुर ने अपने ज्ञापन में निवेदन किया है कि राज्य में बढ़ते हुए राजकीय वादकरण को दृष्टिगत रखते हुए वादों के सुचारू संचालन/निस्तारण एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए डॉ. एम.एल. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति की अभिशंसा पर राजस्थान विधि सेवा का गठन किया गया है। इसमें कनिष्ठतम पद कनिष्ठ विधि अधिकारी (विधि सहायक) का है, जिसका वेतनमान पूर्व में सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, सहायक पंजीयक, सहकारिता व रोजगार विनिमय अधिकारी के समकक्ष मानते हुए वेतन की अभिशंसा की गई थी, परन्तु इस अभिशंस के अनुरूप वेतनमान स्वीकृत नहीं करके उससे कमतर सेवाओं के पद के समान वेतनमान स्वीकृत किया गया, जिसका विवरण पृष्ठ–3/सी पर अवलोकनीय है।

3 वर्तमान में विधि के अधिकारी सेवा के गठन के उद्देश्यों से भी अधिक अपेक्षा से कार्य सम्पादन कर रहे है, जिससे विभागाध्यक्ष, प्रशासनिक विभाग, बोर्ड, राजकीय उपक्रम एवं स्थानीय निकाय आदि लाभान्वित हो रहे है। विधि सेवा के अधिकारीगण द्वारा वादकरण संबंधी कार्य, उनका परीक्षण व परामर्श तथा विधायी प्रारूपण संबंधी कार्य किया जाता है, इसके अलावा लाईट्स की वेबसाईट का संधारण, विधिक राय हेतु प्राप्त पत्रावलियों पर नियम, अधिनियम की व्याख्या आदि का कार्य किया जाता है।

4 विधि सेवा के वेतनमान पांचवे वेतनमान के समय कई सेवाओं के मुकाबले उच्च वेतनमान प्रदान किया गया था। छठे वेतन आयोग के समय इस सेवा के अधिकारियों को अन्य सेवाओं के मुकाबले कम वेतनमान दिया गया है, जबकि विधि सेवा के अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यता तकनीकी विशेषज्ञता की है। इसीलिए निम्नानुसार वेतनमान दिये जाने हेतु विधि सेवा परिषद् ने मांग की है:–

क्र. सं.	पद	वर्तमान वेतनमान मय ग्रेड–पे	वांछित वेतनमान मय ग्रेड–पे
1.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	9300–34800 (3600/– ग्रेड पे)	9300–34800 (4200/– ग्रेड पे)
2.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	9300–34800 (4800/– ग्रेड पे)	15600–39100 (5400/– ग्रेड पे)
3.	सहायक विधि परामर्शी	15600–39100 (6000/– ग्रेड पे)	15600–39100 (6600/– ग्रेड पे)

रा. मु. 1488 4,00,000 2017.

क्र. सं.	पद	टिप्पणी (क्रमिक) वर्तमान वेतनमान मय ग्रेड–पे	वांछित वेतनमान मय ग्रेड–पे
4.	उप विधि परामर्शी	15600–39100 (7200/– ग्रेड पे)	15600–39100 (7600/– ग्रेड पे)
5.	संयुक्त वेधि परामर्शी	15600–39100 (8200/– ग्रेड पे)	37400–67000 (8700/– ग्रेड पे)
6.	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	37400–67000 (8700/– ग्रेड पे)	37400–67000 (9500/– ग्रेड पे)

उपरोक्त विवरण के आधार पर विधि विभाग की अभिशंसा के साथ वित्त विभाग को 7वें वेतन आयोग की कमेटी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

पृष्ठ–1/सी क्रे संदर्भ में अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

विशेषाधिकारी

संयुक्त शासन सचिव

प्रमुख शासन सचिव

माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग

(मनोज कुमार व्यास)

(4)

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

टिप्पणी (कर्मिक)
7

प्रशासनिक विभाग की पत्रावली के अनु. 1—6/एन का परीक्षण वित्त विभाग की आन्तरिक पत्रावली क्रमांक प.14(82)वित्त/नियम/2008 पार्ट पर किया गया। प्रशासनिक विभाग के विधि सेवा परिसर के वेतन वृद्धि के ज्ञापन के क्रम में वित्त (नियम) विभाग की टिप्पणी निम्नानुसार है:—

"सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने एवं विसंगतियों से सम्बन्धित प्रकरणों का परीक्षण करने के लिए श्री डी.सी. सामन्त सेवानिवृत आई.ए.एस. की अध्यक्षता में गठित पे कमेटी का कार्यकाल दिनांक 25.09.2017 को समाप्त हो चुका है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रम में राज कार्मिकों के लिए नये वेतन नियम बनने के पश्चात् वेतन विसंगति निराकरण कमेटी का गठन होने पर उक्त कमेटी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।

यह वित्त विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

8

27.09.2017

(महेन्द्र सिंह भूकर)
संयुक्त शासन सचिव

प्रमुख शासन सचिव, न्याय विभाग

JS (Justice)

29 SEP 2017

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख सचिव विधि

प. 22(8)वि/2014/1-1

टिप्पणी (क्रमिक)

डायरी संख्या | पृ.सं.2

10 विचाराधीन पत्र का पृष्ठ–19/सी पर अवलोकन करें। अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद् ने विधि सेवा के कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी तक के पदों के लिए वेतनमान में निर्धारित वेतनमान की विसंगति को दूर करने हेतु वेतन विसंगति निराकरण समिति, कमरा नं. 203–ए, "सी" ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर के कार्यालय में भिजवाने का आग्रह किया है।

11 विधि सेवा परिषद् द्वारा माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन को विधि विभाग द्वारा वेतन विसंगति दूर करने की अभिशंसा के साथ पत्रावली वित्त विभाग अनुच्छेद 1–5/एन पर भिजवाई गई थी। वित्त विभाग द्वारा पत्रावली में अनुच्छेद 7–8/एन पर निम्नलिखित टिप्पणी के साथ विधि विभाग को लौटायी गई है–

"सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के क्रम में राज कार्मिकों के लिए नये वेतनमान नियम बनने के पश्चात् वेतन विसंगति निराकरण कमेटी का गठन होने पर उक्त कमेटी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जावें।"

12 चूंकि प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग राजस्थान की आज्ञा क्रमांक प.6(5)प्र.सु./अनु–3/2017 दिनांक 3 नवम्बर 2017 के द्वारा श्री डी.सी. सामन्त, सेवानिवृत आई.ए.एस. की अध्यक्षता में वेतन विसंगति समिति का गठन किया जा चुका है।

13 अतः अनुच्छेद 1–8/एन के क्रम में कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी तक के पदों के लिए वेतनमान में निर्धारित वेतनमान की विसंगति को दूर करने हेतु वेतन विसंगति समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्रावली वित्त विभाग को भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

14 अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ।

28.11.2017

अनुभागाधिकारी(OL)

विशेषाधिकारी

~~**संयुक्त शासन सचिव**~~

~~**प्रमुख शासन सचिव**~~

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

28/11/17

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख सचिव विधि

RAJ E-OFFICE NO:- 005218 28-11-2017

7500/PUA 28-11-17

ACS, Finance 29/11/17 30 NOV 2017

(6)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग

टिप्पणी (कर्मिक)

15 प्रशासनिक विभाग की पत्रावली के अनु. 10–14/एन का परीक्षण वित्त (नियम) विभाग की पत्रावली संख्या प.14(82)वित्त/नियम/2014 पार्ट पर किया गया। प्रशासनिक विभाग से अनुरोध है कि अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद से प्राप्त ज्ञापन को अपने अनुशंषा सहित श्री डी.सी.सामन्त, सेवानिवृत आईएएस की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति निराकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करावें।

16 यह वित्त विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

06/12/2017

(महेन्द्र सिंह भूकर)
सहायक शासन सचिव

प्रमुख शासन सचिव,
विधि विभाग

1017०6356
6 DEC 2017

11/12/17

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव विधि

11.12.2017

15361/2017
11/12/17

टिप्पणी (क्रमिक)

17. विचाराधीन पत्र का पृष्ठ–19/सी पर अवलोकन करें। अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद् ने विधि सेवा के कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी तक के पदों के लिए वेतनमान में निर्धारित वेतनमान की विसंगति को दूर करने हेतु वेतन विसंगति निराकरण समिति, कमरा नं. 203–ए, "सी" ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर के कार्यालय में भिजवाने का आग्रह किया है।

18. विधि सेवा परिषद् द्वारा माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन को विधि विभाग द्वारा वेतन विसंगति दूर करने की अभिशंसा के साथ पत्रावली वित्त विभाग, अनुच्छेद 10–14/एन पर भिजवाई गई थी। वित्त विभाग द्वारा पत्रावली में अनुच्छेद 15–16/एन पर निम्नलिखित टिप्पणी के साथ विधि विभाग को लौटायी गई है–

"प्रशासनिक विभाग से अनुरोध है कि अध्यक्ष राजस्थान विधि सेवा परिषद से प्राप्त ज्ञापन को अपने अनुशंषा सहित श्री डी.सी. सामन्त, सेवानिवृत आईएएस की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति निराकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करावे।"

19. अतः अनुच्छेद 15–16/एन के क्रम में विधि सेवा अधिकारियों के वेतनमान की विसंगति को दूर करने हेतु राजस्थान विधि सेवा परिषद्, जयपुर से प्राप्त ज्ञापन दिनांक 04.09.2017 की प्रति विभाग की अभिशंसा सहित श्री डी.सी. सामन्त कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

20. अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ। अनुमोदन की स्थिति में शुद्ध टंकित पत्र भी हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

12-12-2017

अनुभागाधिकारी

निशेषाधिकारी

संयुक्त शासन सचिव

प्रमुख शासन सचिव

JS

13/12/17

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव विधि

13/12/17

सूचना का अधिकार

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक : प.1(181) विधि/विर/प्र.2/आरटीआई/17 जयपुर, दिनांक : 10 NOV 2017

श्री जितेन्द्र सिंह,
कमरा न. 1007, मुख्य भवन,
शासन सचिवालय,
जयपुर

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 05 के अधीन सूचना।
संदर्भ :– आवेदनपत्र दिनांक 11.10.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आवेदन पत्र के संबंध में बिन्दुवार सूचनाएं निम्नानुसार है :–

1. यह कि बिन्दु संख्या (ए) के संबंध में सूचित किया जाता है कि ज्ञापन दिनांक 23.08.2017 से सम्बधित पत्रावली इस समय इस विभाग की पहुंच में नहीं है अर्थात मूवमेंट में है।

2. यह कि बिन्दु संख्या (बी) के संबंध में पत्रावली प 22 (8) न्याय /2017 की सुसंगत नोटशीट की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 05 के अधीन प्रथम अपील प्रमुख शासन सचिव, विधि शासन सचिवालय, जयपुर के समक्ष 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।

09.11.17

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(डॉ० कैलाश चन्द्र अटवासिया)
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
संयुक्त शासन सचिव

F 22(8) विधि/17

डायरी संख्या

टिप्पणी (क्रमिक)

पृ.सं.2

1 विचाराधीन पत्र का पृष्ठ 1–17/सी पर अवलोकन करे। राजस्थान विधि सेवा परिषद, जयपुर ने माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

2 माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय ने ज्ञापन में पृष्ठ–5/सी में मार्क–'ए' पर दर्शित ग्रेड पे के संबंध में विस्तृत तथ्यात्मक टिप्पणी अनुच्छेद–1/एन से चाही है। राजस्थान विधि सेवा परिषद, जयपुर ने अपने ज्ञापन में निवेदन किया है कि राज्य में बढ़ते हुए राजकीय वादकरण को दृष्टिगत रखते हुए वादों के सुचारू संचालन/निस्तारण एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए डॉ. एम.एल. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति की अभिशंसा पर राजस्थान विधि सेवा का गठन किया गया है। इसमें कनिष्ठतम पद कनिष्ठ विधि अधिकारी (विधि सहायक) का है, जिसका वेतनमान पूर्व में सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, सहायक पंजीयक, सहकारिता व रोजगार विनिमय अधिकारी के समकक्ष मानते हुए वेतन की अभिशंसा की गई थी, परन्तु इस अभिशंस के अनुरूप वेतनमान स्वीकृत नहीं करके उससे कमतर सेवाओं के पद के समान वेतनमान स्वीकृत किया गया, जिसका विवरण पृष्ठ–3/सी पर अवलोकनीय है।

3 वर्तमान में विधि के अधिकारी सेवा के गठन के उद्देश्यों से भी अधिक अपेक्षा से कार्य सम्पादन कर रहे है, जिससे विभागाध्यक्ष, प्रशासनिक विभाग, बोर्ड, राजकीय उपक्रम एवं स्थानीय निकाय आदि लाभान्वित हो रहे है। विधि सेवा के अधिकारीगण द्वारा वादकरण संबंधी कार्य, उनका परीक्षण व परामर्श तथा विधायी प्रारूपण संबंधी कार्य किया जाता है, इसके अलावा लाईट्स की वेबसाईट का संधारण, विधिक राय हेतु प्राप्त पत्रावलियों पर नियम, अधिनियम की व्याख्या आदि का कार्य किया जाता है।

4 विधि सेवा के वेतनमान पांचवे वेतनमान के समय कई सेवाओं के मुकाबले उच्च वेतनमान प्रदान किया गया था। छठे वेतन आयोग के समय इस सेवा के अधिकारियों को अन्य सेवाओं के मुकाबले कम वेतनमान दिया गया है, जबकि विधि सेवा के अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यता तकनीकी विशेषज्ञता की हैं। इसीलिए निम्नानुसार वेतनमान दिये जाने हेतु विधि सेवा परिषद ने मांग की है:–

क्र. सं.	पद	वर्तमान वेतनमान मय ग्रेड–पे	वांछित वेतनमान मय ग्रेड–पे
1.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	9300–34800 (3600/– ग्रेड पे)	9300–34800 (4200/– ग्रेड पे)
2.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	9300–34800 (4800/– ग्रेड पे)	15600–39100 (5400/– ग्रेड पे)
3.	सहायक विधि परामर्शी	15600–39100 (6000/– ग्रेड पे)	15600–39100 (6600/– ग्रेड पे)

नीति एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन जारी प्रमाणित प्रति

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग

टिप्पणी. (कार्मिक)

प्रशासनिक विभाग को पत्रावली के अनु. 1–6/एन का परीक्षण वित्त विभाग की आन्तरिक पत्रावली क्रमांक प.14(82)वित्त/नियम/2008 पार्ट पर किया गया। प्रशासनिक विभाग के विधि सेवा परिसर के वेतन वृद्धि के ज्ञापन के क्रम में वित्त (नियम) विभाग की टिप्पणी निम्नानुसार है:–

"सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने एवं विसंगतियों से सम्बन्धित प्रकरणों का परीक्षण करने के लिए श्री डी.सी. सामन्त सेवानिवृत आई.ए.एस. की अध्यक्षता में गठित पे कमेटी का कार्यकाल दिनांक 25.09.2017 को समाप्त हो चुका है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रम में राज कार्मिकों के लिए नये वेतन नियम बनने के पश्चात् वेतन विसंगति निराकरण कमेटी का गठन होने पर उक्त कमेटी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।

यह वित्त विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

27/09/2017

(महेन्द्र सिंह भूकर)
संयुक्त शासन सचिव

प्रमुख शासन सचिव, न्याय विभाग

JS (Justice)

5-10-17

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख सचिव विधि

09.2017

10170492 2
29 SEP 2017

00528/PSH/17(31)
4-10-17

लोक सूचना अधिकारी विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन जारी प्रमाणित प्रति

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः–कमरा नं. 1007, विधि विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक सं. राज.वि.से.प/20 दिनांकः 23.11.2017

ज्ञापन

सेवामें,

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
वेतन विसगंति निवारण समिति,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के विधि अधिकारियों के वर्तमान वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर केन्द्रीय विधि सेवा के अधिकारियों अथवा राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के लिए निर्धारित वेतनमान के समकक्ष वेतन निर्धारण करने बाबत।

सन्दर्भ :– वेतन विसंगति निवारण समिति द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक प. 14 (4) वित्त/नियम/2017 दिनांक 20.11.2017 ।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित विज्ञप्ति के क्रम में राजस्थान विधि सेवा परिषद की ओर से वेतन विसंगति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में निम्नानुसार प्रस्तुत है –

1. प्रतिवेदन दाता का नाम : जितेन्द्र सिंह
2. सेवा/पद जिससे सम्बन्धित है/प्रतिनिधित्व करते हैं : राज0 विधि सेवा
3. (अ) पता : कमरा नं. 1007, विधि विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।

   (ब) दूरभाष : मोबाईल : 70143–47174
4. सेवा/पद में चयन का तरीका : राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से
5. वेतन विसंगति सम्बन्धित प्रतिवेदन : (संलग्न है)
6. अन्य कोई दस्तावेज : (संलग्न हैं)

23/11/2017

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/2

दिनांक : 23.11.2017

प्रतिवेदन

सेवामें,

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
वेतन विसगंति निवारण समिति,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :— राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के विधि अधिकारियों के वर्तमान वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर केन्द्रीय विधि सेवा के अधिकारियों अथवा राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के लिए निर्धारित वेतनमान के समकक्ष वेतन निर्धारण करने बाबत।

सन्दर्भ :— वित्त विभाग की पत्रावली क्रमांक प. 14 (82) वित्त/नियम/2008 पर दिनांक 27.09.2017 को की गई टिप्पणी एवं संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग—3) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 6 (5) प्र.सु./अनु—3/2017, जयपुर दिनांक 3 नवम्बर 2017

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आज्ञा व वित्त विभाग की टिप्पणी के क्रम में नम्र निवेदन है कि राजस्थान राज्य के बढ़ते हुये राजकीय वादकरण को दृष्टिगत रखते हुये वादों के सुचारू संचालन/निस्तारण तथा प्रभावी नियन्त्रण हेतु विख्यात विधिवेत्ता डा0 एल. एम. सिंघवी की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य में विधि सेवा का गठन किया गया था। गठन के समय विधि सेवा के अधिकारियों का वेतनमान निम्नानुसार था—

पदनाम	वर्ष 1983 से पूर्व का वेतनमान	वर्ष 1983 में संशोधित वेतनमान
विधि सहायक (अब कनिष्ठ विधि अधिकारी)	500 — 890	660 — 1240 (स्केल न0 **13**)
मुख्य विधि सहायक (अब वरिष्ठ विधि अधिकारी)	620 — 1100	820 — 1550 (स्केल न0 **17**)
सहायक विधि परामर्शी	930 — 1500	1210 — 2040 (स्केल न0 **20**)
उप विधि परामर्शी	1400 — 1900	1750 — 2500 (स्केल न0 **24**)

23/11/2017

विधि सेवा के गठन के समय समिति द्वारा जिस वेतनमान की सिफारिश की गई थी राज्य सरकार द्वारा वह वेतनमान प्रदान नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा जिन सेवाओं के समान विधि सेवा के अधिकारियों का वेतनमान स्वीकृत किया गया था, उन सेवाओं का वेतनमान भी आज विधि सेवा अधिकारियों से अधिक है, यही नहीं जिन सेवाओं का वेतनमान विधि सेवा अधिकारियों से कम था, आज उनका भी वेतनमान विधि सेवा अधिकारियों से अधिक है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा विधि सेवा के अधिकारियों को समानता के मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है। यह स्थिति विधि सेवा के अधिकारियों के लिए मानसिक रूप से बहुत पीड़ादायक है, इससे विधि अधिकारियों की कार्यकुशलता भी प्रभावित हो रही है। विधि सेवा के साथ हुयी इस असमानता की स्थिति को निम्नलिखित उदाहरणों से भली भाँति समझा जा सकता है –

दृष्टान्त प्रथम – विधि सहायक (LA) के सम्बन्ध में

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवाओं के पद के समान मानते हुए विधि सहायक के पद का वेतनमान निर्धारित किया गया था, उन सेवा के पदों का विवरण एवं षष्टम वेतन निर्धारण में उन पदों का विधि सहायक से अधिक ग्रेड–पे निम्नानुसार है –

पदनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल	वर्ष 2008 के षष्टम वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल एवं ग्रेड–पे	संलग्न
अनुसंधान छात्र (अब अ0स्कॉलर)	(राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा)	660–1240 (स्केल नं0 13)	9300–34800 (स्केल नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	1 - 2
सहायक पुरालेखपाल	(राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा)	660–1240 (स्केल नं0 13)	9300–34800 (स्केल नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	1 - 2
विधि रचनाकार	(राजस्थान विधि रचना सेवा)	660–1240 (स्केल नं0 13)	9300–34800 (स्केल नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	3 - 4
विधि सहायक (अब कनिष्ठ विधि अधिकारी)	राज0 विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा	660–1240 (स्केल नं0 13)	9300–34800 (स्केल नं0 11) ग्रेड–पे 3200 (अब 3600)	5 - 6

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवाओं के पदों को **विधि सहायक** के समकक्ष नहीं मानते हुए कम वेतनमान निर्धारित किया गया था, उन सेवाओं के पदों का विवरण एवं षष्टम वेतन निर्धारण में उन पदों का **विधि सहायक** से भी अधिक ग्रेड–पे निम्नानुसार है–

पदनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में पे–स्केल	वर्ष 2008 के षष्टम वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल एवं ग्रेड–पे	संलग्न
सहायक कृषि अधिकारी / कृषि सहायक / कृषि	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा	640–1180 (स्केल नं0 12)	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	7 - 8

23/11/2017

प्रसार अधिकारी / फार्म प्रबन्धक (जो कृषि स्नातक नहीं हैं)				
निरीक्षक ग्रेड–I	राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा	640–1180 (स्केल नं0 12)	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	9 - 10
निरीक्षक ग्रेड–I	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सा0 शाखा)	640–1180 (स्केल नं0 12)	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	10A से 10B
विधि सहायक (अब कनि0विधि अधिकारी)	राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा	**660–1240 (स्केल नं0 13)**	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 11) **ग्रेड–पे 3200** (अब 3600)	5 - 6

दृष्टान्त द्वितीय – सहायक विधि परामर्शी **(ALR)** के सम्बन्ध में

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवाओं के पद के समान मानते हुए सहायक विधि परामर्शी के पद का वेतनमान निर्धारित किया गया था, उन सेवा के पदों का विवरण एवं षष्टम वेतन निर्धारण में उन पदों का **सहायक विधि परामर्शी से अधिक ग्रेड–पे** निम्नानुसार है –

पदनाम	सेवा का नाम	**वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल**	**वर्ष 2008 के षष्टम वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल एवं ग्रेड–पे**	संलग्न
आचार्य / फिजिसियन स्पेशलिस्ट	राज0 आयुर्वेद सेवा (महाविद्यालय शाखा)	1210–2040 (स्केल नं0 20)	15600–39100 (स्केल नं0 17) ग्रेड–पे 6600	11 - 12
उप निदेशक	राजस्थान आयुर्वेद सेवा	1210–2040 (स्केल नं0 20)	15600–39100 (स्केल नं0 17) ग्रेड–पे 6600	11 - 12
सहायक शासन सचिव	राजस्थान शासन सचिवालय सेवा	1210–2040 (स्केल नं0 20)	15600–39100 (स्केल नं0 17) ग्रेड–पे 6600	13 - 14
निजी सचिव	राजस्थान शासन सचिवालय सेवा	1210–2040 (स्केल नं0 20)	15600–39100 (स्केल नं0 17) ग्रेड–पे 6600	13 - 14
विधि रचना अधिकारी	राजस्थान विधि रचना सेवा	1210–2040 (स्केल नं0 20)	15600–39100 (स्केल नं0 17) ग्रेड–पे 6600	3 - 4
सहायक विधि परामर्शी	राजस्थान विधि सेवा	**1210–2040 (स्केल नं0 20)**	15600–39100 **(स्केल नं0 16) ग्रेड–पे 6000**	5 - 6

दृष्टान्त तृतीय – उप विधि परामर्शी **(DLR)** के सम्बन्ध में

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवाओं के पद के समान मानते हुए उप विधि परामर्शी के पद का वेतनमान निर्धारित किया गया था, उन सेवा के पदों का विवरण एवं षष्टम वेतन निर्धारण में उन पदों का **उप विधि परामर्शी से अधिक ग्रेड–पे** निम्नानुसार है –

23/11/2017

पदनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में पे–स्केल	वर्ष 2008 के षष्टम वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल एवं ग्रेड–पे	संलग्न
निदेशक	राजस्थान आयुर्वेद सेवा	1750–2500 (स्केल नं0 24)	15600–39100 (स्केल नं0 20) ग्रेड–पे 7600	18-12
निदेशक	राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा	1750–2500 (स्केल नं0 24)	15600–39100 (स्केल नं0 20) ग्रेड–पे 7600	15-16
उप शासन सचिव	राजस्थान सचिवालय सेवा	1750–2500 (स्केल नं0 24)	15600–39100 (स्केल नं0 20) ग्रेड–पे 7600	13-14
उप शासन सचिव, विधि रचना संगठन	राजस्थान विधि रचना सेवा	1750–2500 (स्केल नं0 24)	15600–39100 (स्केल नं0 20) ग्रेड–पे 7600	3-4
उप विधि परामर्शी	राजस्थान विधि सेवा	1750–2500 (स्केल नं0 24)	15600–39100 (स्केल नं0 19) ग्रेड–पे 7200	5-6

वर्तमान में विधि सेवा के अधिकारी, सेवा के गठन के उद्श्यों से भी अधिक अपेक्षा से कार्य सम्पादन कर रहे हैं और इनके प्रभावी कार्य सम्पादन से विभागाध्यक्ष, राज्य सरकार, प्रशासनिक विभाग, बोर्ड, राजकीय उपक्रम, स्थानीय निकाय आदि लाभान्वित हो रहे हैं, इसके साथ ही यह अधिकारीगण प्रशासनिक निर्णय लेने में सहभागी भी हैं। सेवा के अधिकारी हमेशा ही विपरीत परिस्थितियों में रह कर भी राज्य के हितों की संरक्षा करते हैं और इन पर दिन प्रतिदिन कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि हो रही है।

विधि सेवा के अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार, विभागाध्यक्ष एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में वादकरण सम्बन्धी कार्य जिसमें वाद पत्र, जवाब दावा, न्यायालय के निर्णय इत्यादि का परीक्षण व परामर्श तथा विधायी प्रारुपण सम्बन्धी कार्य, Lites वेबसाइटस का संधारण, विधिक राय हेतु प्राप्त होने वाली पत्रावलियों पर नियम, अधिनियम की व्याख्या कर राय इत्यादि का कार्य किया जाता है जो कि नई नीतियों के निर्धारण में वर्तमान में उपयोगी हैं और वादकरण सम्बन्धी कार्यो के लिए तो ये रीड की हड्डी (Back bone) हैं।

राज. विधि सेवा के अधिकारियों के वेतनमान की स्थिति पर दृष्टिपात करने पर वे अति न्यूनतम दयनीय स्थिति को प्रकट करते हैं। इन वेतनमानों के आधार पर जिस उत्कृष्ट श्रेणी के कार्य को सम्पादित किया जा रहा हैं उसके लिये आवंटित वेतनमान किसी भी प्रकार से उचित नहीं हैं जबकि विधि सेवा से कम स्तर की सेवाओं के वेतनमान राज. विधि सेवा से उच्चतर स्थिति में हैं।

पांचवें वेतन आयोग के लागू होने से पूर्व तक कई सेवाओं के वेतनमान जो कि राज0 विधि सेवा के वेतनमान से कम थे अथवा समान थे, 5th वेतन आयोग में उनको विधि सेवा के मुकाबले उच्च वेतनमान प्रदान कर दिया गया तथा इसी प्रकार 6th वेतन आयोग में भी राज0 विधि सेवा के अधिकारियों को अन्य सेवाओं के मुकाबले निम्न वेतनमान प्रदान किया गया। इस कारण से विधि स्नातक की योग्यता होने के बावजूद विधि सेवा अधिकारी वेतनमान के मामले में 12वीं योग्यताधारी सेवाओं से भी पीछे रह गये हैं।

23/11/2017

संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग राजस्थान की आज्ञा क्रमांक प. 6 (5) प्र.सु./अनु–3/2017 जयपुर दिनांक 3 नवम्बर 2017 के बिन्दु संख्या (ii) के क्रम में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की विधि सेवा के पदों एवं उनके वेतनमान का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है –

केन्द्रीय विधि सेवा		राजस्थान विधि सेवा			औचित्य एवं कारण
विद्यमान पद	स्वीकृत वेतनमान	विद्यमान पद	स्वीकृत वेतनमान	वांछित एवं न्यायसंगत वेतनमान	1.शैक्षणिक योग्यता, कर्तव्य एवं भती प्रक्रिया के लिये टेविल संलग्न नं0 – 17 है। 2.राज्य में उपलब्ध ग्रेड पे के अनुसार समानता बनाये रखने के लिये कनिष्ठ विधि अधिकारी (पूर्व पद विधि सहायक) के लिये केन्द्रीय विधि सेवा के समकक्ष पद हेतु निर्धारित ग्रेड पे:–4600 के स्थान पर 4200 की मांग की गई है और वरिष्ठ विधि अधिकारी (पूर्व पद मुख्य विधि सहायक) हेतु केन्द्रीय विधि सेवा के समकक्ष प्रद हेतु निर्धारित ग्रेड पे–4800 के स्थान पर 5400 की मांग की गई है। यहां यह स्पष्ट किया जाना उचित है कि कनिष्ठ विधि अधिकारियों की संख्या अधिक और वरिष्ठ विधि अधिकारियों की संख्या कम होने के कारण वित्तीय भार भी कम आयेगा संलग्न - 20 - 23
सहायक, विधि	6 thवेतनआयोग में9300–34800 (ग्रेड–पे4600) 7 th में L– 7	विधि सहायक अब कनि0 विधि अधिकारी (JLO)	6thवेतनआयोग में 9300–34800 (ग्रेड–पे 3600) 7 th में L–10	6 thवेतनआयोग में9300–34800 (ग्रेड–पे4200) 7 th में L–11	
अधीक्षक, विधि	6 thवेतनआयोग में9300–34800 (ग्रेड–पे4800) 7 th में L– 8	मुख्य विधि सहायक अब वरि0 विधि अधिकारी (SLO)	6thवेतनआयोग में 9300–34800 (ग्रेड–पे 4800) 7 th में L–12	6 thवेतनआयोग में15600–39100 (ग्रेड–पे5400) 7 th में L–14	
सहायक विधि सलाहकार	6 thवेतनआयोग में15600–39100 (ग्रेड–पे 6600) 7 th में L– 11	सहायक विधि परामर्शी (ALR)	6thवेतनआयोग में15600–39100 (ग्रेड–पे 6000) 7 th में L–15	6 thवेतनआयोग में15600–39100 (ग्रेड–पे 6600) 7 th में L–16	
उप विधि सलाहकार	6 thवेतनआयोग में15600–39100 (ग्रेड–पे 7600) 7 th में L– 12	उप विधि परामर्शी (DLR)	6thवेतनआयोग में15600–39100 (ग्रेड–पे 7200) 7 th में L–18	6 thवेतनआयोग में15600–39100 (ग्रेड–पे 7600) 7 th में L–19	
अतिरिक्त विधि सलाहकार	6 thवेतनआयोग में37400–67000 (ग्रेड–पे 8700) 7 th में L–13	संयुक्त विधि परामर्शी (Jt.LR)	6thवेतनआयोग में15600–39100 (ग्रेड–पे 8200) 7 th में L–20	6 thवेतनआयोग में37400–67000 (ग्रेड–पे 8700) 7 th में L–21	

छठे वेतन आयोग के पश्चात राज्य में विधि सेवा के नवीन पद सृजन के पश्चात राज्य विधि सेवा एवं केन्द्र की विधि सेवा की तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है –

केन्द्रीय विधि सेवा		राज. विधि सेवा		
विद्यमान पद	स्वीकृत वेतनमान	विद्यमान पद	स्वीकृत वेतनमान	वांछित एवं न्यायसंगत वेतनमान
Joint Secretary & Legal Adviser	37,400–67,000 (ग्रेड पे–10,000) 7th में L– 14	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी (Sr.Jt.LR)	37,400–67,000 (ग्रेड पे–8700) 7th में L– 21	37,400– 67,000 (ग्रेड पे– 9,500) 7th में L– 23

23/11/2017

उक्त तुलनात्मक स्थिति से यह स्पष्ट है कि राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों को न तो राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के समान वेतनमान प्रदान किया गया है और न ही केन्द्र की समकक्ष सेवाओं के समान वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है। यहां तक कि पूर्व में वेतनमान की समान स्थिति को भी घटाकर नीचे की स्थिति में लाया गया है। उक्त वर्णित सेवाओं के अतिरिक्त राज्य में और भी ऐसी सेवाऐं हैं जिनकी तुलना में विधि सेवा का वेतनमान नीचे रखा गया है।

विधि सेवा के सदस्यों की योग्यता, उनकी चयन प्रक्रिया एवं सम्पादित किये जाने वाले कार्य अति–महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं, फिर भी राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के अधिकारियों की उपेक्षा करते हुए 5वें व 6वें वेतन आयोग की सिफारिशें अतार्किक रूप से लागू करके राज्य की समकक्ष सेवाओं एवं केन्द्रीय विधि सेवा के वेतनमान की तुलना में अत्यधिक अन्तर करके कम वेतनमान दिया गया है। इस पर विचार कर तर्कसंगत एवं न्यायपूर्ण निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

कनिष्ठ विधि अधिकारी **(JLO)** के पद से प्रथम पदोन्नति वरिष्ठ विधि अधिकारी **(SLO)** के पद पर होती है। वरिष्ठ विधि अधिकारी का पद राज्य सेवा का पद है। **वर्तमान में वरिष्ठ विधि अधिकारी (SLO) एवं सहायक विधि परामर्शी (ALR) के पद पर कार्यरत अधिकांश अधिकारियों की प्रथम पदोन्नति लगभग 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर हुई है।** वरिष्ठ विधि अधिकारी **(SLO)** से सहायक विधि परामर्शी **(ALR)** के पद पर पदोन्नति में भी अत्यधिक समय लग रहा है। इस प्रकार राजस्थान **विधि सेवा के सदस्यों का अधिकांश सेवाकाल आरम्भिक दोनों पदों अर्थात कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO) एवं वरिष्ठ विधि अधिकारी (SLO) के पदों पर ही पूरा हो जाता है और इससे उच्चतर पदों पर पदोन्नति हेतु आयु एवं सेवाकाल बहुत कम शेष रहता है,** जिसके कारण अधिकांश अधिकारी उप विधि परामर्शी **(DLR)**, संयुक्त विधि परामर्शी **(Jt.LR)** एवं वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी **(Sr.Jt.LR)** के पदों पर पदोन्नति का लाभ प्राप्त किए बिना ही सेवानिवृत हो जाते हैं।

विधि सेवा के लिए विधि स्नातक होना आवश्यक है, विधि स्नातक एक Professional Degree है और इसको कम से कम डॉक्टर, औषधि नियत्रंक अधिकारी आदि के लिए निर्धारित योग्यता के समकक्ष माना जाना चाहिए। इसलिए उचित एवं न्यायपूर्ण तो यह है कि इनके वेतनमान डॉक्टर, औषधि नियत्रंक अधिकारी आदि के समकक्ष ही रखे जावें क्योकि विधि अधिकारियों का कार्य किसी भी दृष्टिकोण से अन्य सेवाओं के कार्य से कम महत्वपूर्ण एवं कमतर प्रकृति का नहीं है इसलिए इस सेवा के पदो के लिए निर्धारित वेतनमान में असमानता होने का कोई युक्ति–युक्त आधार नहीं है। यदि उक्त सेवाओं के समकक्ष वेतनमान नही दिया जाता है तो कम से कम केन्द्रीय विधि सेवाओं के समकक्ष मिलना तो अति–आवश्यक एवं न्यायपूर्ण है।

23/11/2017

अन्य भत्ते/सुविधाऐं –

संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग राजस्थान की आज्ञा क्रमांक प. 6 (5) प्र.सु./अनु–3/2017 जयपुर दिनांक 3 नवम्बर 2017 के बिन्दु संख्या (IV) के क्रम निम्नानुसार निवेदन है –

वर्तमान में विधि सेवा के अधिकारीगण को किसी प्रकार का भत्ता व अन्य सुविधाऐं उपलब्ध नहीं है। विधि सेवा के कार्य सम्पादन की प्रकृति से ही स्पष्ट है कि विधि सेवा के सदस्यों को वादकरण कार्य सम्पादित करना होता है। मा0 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित न्यायालय प्रकरणों के सम्बन्ध में महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता व उनके सहायकों से एवं प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष आदि के साथ **निजी खर्चे पर दूरभाष/मोबाईल पर वार्ता/व्यक्तिगत सम्पर्क/बैठक आदि नियमित रूप से सम्पादित किये जाते हैं,** लेकिन विधि सेवा के सदस्यों को दूरभाष/मोबाईल एवं यात्रा व्यय नहीं दिया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार में मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी मोबाईल भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

विधि अधिकारीगण को किसी भी प्रकरण में उचित व प्रभावी विधिक राय देने से पूर्व तत्सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों के निर्णय/अधिनियम/नियम/परिनियम के सम्बन्ध में विधिक पुस्तकों का अवलोकन आवश्यक होता है। उक्त प्रकरण में निवेदन है कि राज्य सरकार के अधिकांश कार्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। **विधि अधिकारीगण को स्वयं के खर्चे पर उक्त पुस्तकें जुटानी पड़ती हैं।** उक्त पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु विधि अधिकारीगण को लाईब्रेरी भत्ता भी स्वीकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में कार्यक्षमता पर जहां विपरीत प्रभाव पड़ रहा है वही राज्य/विभाग की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

विधि अधिकारीगण द्वारा सम्पादित उपरोक्त कार्यों की प्रकृति एवं उनके द्वारा किए जा रहे व्यय को ध्यान में रखते हुए उन्हें न्यायोचित दर से दूरभाष/मोबाईल भत्ता, वाहन भत्ता एवं लाईब्रेरी भत्ता स्वीकृत करवाने की कृपा करें।

तकनीकी विशेषज्ञता –

केन्द्र सरकार में विधि सेवा को तकनीकी विशेषज्ञता का दर्जा प्राप्त होना स्वीकार किया है और इसी तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिये जाने की घोषणा होने से पूर्व ही वेतन विसंगति को सुधारने हेतु राज0 विधि सेवा परिषद द्वारा एक ज्ञापन मा0 विधि राज्य मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया गया था। राज0 विधि सेवा परिषद द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन विधि विभाग की अनुशंसा के साथ वित्त विभाग को भिजवाया गया था। विधि विभाग द्वारा वित्त विभाग को निम्नानुसार

23/11/2017

वेतनमान दिये जाने की अभिशंसा **(RTI में प्राप्त छाया प्रति संलग्न 18)** की गई है –

क्र.सं.	पद	6th वेतन आयोग में स्वीकृत वेतनमान मय ग्रेड–पे	विधि विभाग द्वारा की गई अनुशंसानुसार वांछित वेतनमान मय ग्रेड–पे
1.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	9300–34800 (3600/– ग्रेड पे)	9300–34800 (4200/– ग्रेड पे)
2.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	9300–34800 (4800/– ग्रेड पे)	15600–39100 (5400/– ग्रेड पे)
3.	सहायक विधि परामर्शी	15600–39100 (6000/– ग्रेड पे)	15600–39100 (6600/– ग्रेड पे)
4.	उप विधि परामर्शी	15600–39100 (7200/– ग्रेड पे)	15600–39100 (7600/– ग्रेड पे)
5.	संयुक्त विधि परामर्शी	15600–39100 (8200/– ग्रेड पे)	37400–67000 (8700/– ग्रेड पे)
6.	व0 संयुक्त विधि परामर्शी	37400–67000 (8700/– ग्रेड पे)	37400–67000 (9500/– ग्रेड पे)

विधि विभाग (प्रशासनिक विभाग) द्वारा उपरोक्तानुसार वेतनमान स्वीकृत करने हेतु की गई अनुशंसा पर वित्त विभाग की पत्रावली क्रमांक प. 14 (82) वित्त/नियम/2008 पर दिनांक 27.09.2017 को यह टिप्पणी **(RTI में प्राप्त छाया प्रति संलग्न 19)** अंकित की गई है कि "सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के क्रम में राज कार्मिकों के लिए नये वेतनमान नियम बनने के पश्चात वेतन विसंगति निराकरण कमेटी का गठन होने पर उक्त कमेटी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।"

विधि सेवा के अधिकारियों के वेतनमान में 5वें एवं 6वें वेतन आयोग के पश्चात स्वीकृत वेतनमान के कारण उत्पन्न हुई विसंगति को सुधारने के साथ ही 7वें वेतन आयोग में राज्य की समकक्ष सेवाओ एवं केन्द्रीय विधि सेवा के अधिकारियों को दिये गये वेतनमान के समकक्ष लाने के लिए राज्य की विधि सेवा के अधिकारियों का वेतनमान निम्नानुसार संशोधित किया जाना वांछनीय है –

पद	वर्तमान वेतनमान जो कि सातवें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया	निर्धारित वर्तमान वेतनमान की विसंगति दूर कर वेतन विसंगति निवारण समिति द्वारा जो वेतनमान निर्धारित करना है।
कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO)	9300–34800 (ग्रेड पे 3600) L-10	9300–34800 (4200/– ग्रेड पे) **L-11**
वरिष्ठ विधि अधिकारी (SLO)	9300–34800 (ग्रेड पे 4800) L-12	15600–39100 (5400/– ग्रेड पे) **L-14**
सहायक विधि परामर्शी (ALR)	15600–39100 (ग्रेड पे 6000) L-15	15600–39100 (6600/– ग्रेड पे) **L-16**
उप विधि परामर्शी (DLR)	15600–39100 (ग्रेड पे 7200) L-18	15600–39100 (7600/– ग्रेड पे) **L-19**
संयुक्त विधि परामर्शी (Jt. LR)	15600–39100 (ग्रेड पे 8200) L-20	37400–67000 (8700/– ग्रेड पे) **L-21**
व0 संयुक्त विधि परामर्शी (Sr. Jt.LR)	37400–67000 (ग्रेड पे 8700) L-21	37400–67000 (9500/– ग्रेड पे) **L-23**

वर्तमान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना अस्तित्व में है, लेकिन राज्य द्वारा दोहरे स्नातक (double graduate) एवं प्रोफेशनल डिग्रीधारी सेवा के सदस्यों का अन्य सेवाओं से कमतर वेतनमान देकर अनावश्यक रूप से विसंगति व असंतोष उत्पन्न किया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करना समीचीन है कि विधि सेवा में कनिष्ठ विधि अधिकारी से लेकर वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर वर्तमान में कुल 318 विधि अधिकारीगण कार्यरत हैं, जिनके वेतनमान

23/11/2017

को उपरोक्तानुसार संशोधन कर विसंगति दूर करने में राज्य सरकार पर बहुत ही कम वित्तीय भार पड़ेगा।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि राजस्थान राज्य के विधि अधिकारियों की निर्धारित योग्यता, जटिल चयन प्रक्रिया, उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की अति महत्वपूर्ण प्रकृति एवं **प्रशासनिक विभाग (विधि विभाग) द्वारा की गई अनुशंसा** को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य के विधि सेवा अधिकारियों के लिए 7वें वेतन आयोग में निर्धारित किये गये Pay-lable की विसंगति को दूर कर राज्य की अन्य समकक्ष सेवाओं अथवा केन्द्रीय विधि सेवा के लिए 7वें वेतन आयोग में निर्धारित किये गये Pay-lable के समान वेतनमान तथा उक्त वांछित भत्तों को स्वीकृत किये जाने की कृपा करें।

सादर

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

23/11/2017

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद्
मो0 :– 70143–47174

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ 22

दिनांक : 27.11.2017

ज्ञापन

सेवामें,

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के विधि अधिकारियों के वर्तमान वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने हेतु विधि विभाग द्वारा की गई अनुशंसा से सम्बन्धित पत्रावली वेतन विसंगति निराकरण समिति के समक्ष भिजवाने बाबत्।

संदर्भ :– विधि विभाग की पत्रावली प. 22 (8) न्याय/2017 ।

मान्यवर,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधि सेवा के कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी तक के पदों के लिए वर्तमान में निर्धारित वेतनमान की विसंगति को दूर करने हेतु विधि सेवा परिषद् द्वारा मा0 विधि राज्य मंत्री महोदय को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन को स्वीकार करते हुए विधि विभाग द्वारा वेतन विसंगति दूर करने की अभिशंसा के साथ पत्रावली वित्त विभाग को भिजवायी गई थी।

वित्त विभाग को प्रेषित की गई संदर्भित पत्रावली वित्त विभाग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी के साथ विधि विभाग को लौटायी गई है –

"सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के क्रम में राज कार्मिकों के लिए नये वेतनमान नियम बनने के पश्चात वेतन विसंगति निराकरण कमेटी का गठन होने पर उक्त कमेटी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।"

चूंकि प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग राजस्थान की आज्ञा क्रमांक प. 6 (5) प्र.सु/ अनु–3/2017 जयपुर दिनांक 3 नवम्बर 2017 के द्वारा श्री डी.सी. सामन्त, सेवानिवृत आई.ए.एस. की अध्यक्षता में वेतन विसंगति समिति का गठन किया जा चुका है एवं राज0 विधि सेवा परिषद् द्वारा वेतन विसंगति दूर करने हेतु प्रतिवेदन दिनांक 23.11.2017 को उक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।

अतः निवेदन है कि विधि सेवा अधिकारियों के लिए वर्तमान में निर्धारित वेतनमान की विसंगति को सुधारने हेतु विधि विभाग की पत्रावली प. 22 (8) न्याय/2017 को आवश्यक कार्यवाही हेतु वेतन विसंगति निराकरण समिति, कमरा नं0 203–ए, "सी" ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर के कार्यालय में भिजवाने की कृपा करें।

(जितेन्द्र सिंह) 27/11/2017
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद
मो0 :– 70143–47174

ok

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ 23

दिनांक : 07/12/2017

श्रीमान मुख्य प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– बचत खाता संख्या 51088903206 राजस्थान विधि सेवा संघ (Rajasthan Law Service Union) को राजस्थान विधि सेवा परिषद् (Rajasthan Legal Service Assoction) के नाम करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपकी शाखा में राजस्थान विधि सेवा संघ (Rajasthan Law Service Union) का बचत खाता संख्या 51088903206 काफी समय पूर्व से खुला हुआ है, जिसका लम्बे समय से संचालन भी नहीं हो पा रहा है।

उक्त सम्बन्ध में निवेदन है कि राजस्थान विधि सेवा संघ द्वारा साधारण सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राजस्थान विधि सेवा संघ का नाम राजस्थान विधि सेवा परिषद् करने का निर्णय लेकर संविधान को संशोधित किया गया है।

अतः राजस्थान विधि सेवा परिषद् के पूर्व अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष तथा वर्तमान अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित अधिकार पत्र की मूल प्रति, वर्तमान अध्यक्ष के निर्वाचन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति, वर्तमान अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी गठन हेतु जारी आदेश की प्रति एवं संविधान की छाया प्रति संलग्न कर निवेदन है कि उक्त बचत खाते का नाम राजस्थान विधि सेवा संघ के स्थान पर राजस्थान विधि सेवा परिषद् परिवर्तित करने का श्रम करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

IFSC Code: SBIN0031031

भवदीय,

07/12/2017

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद्
मो0 :– 70143–47174

O/C

रा.वि.से./24

दि. 11-12-2017

सेवामें,

माननीय राज्यपाल महोदय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के विधि अधिकारियों के वर्तमान वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर केन्द्रीय विधि सेवा के अधिकारियों अथवा राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के लिए निर्धारित वेतनमान के समकक्ष वेतन निर्धारण करने बाबत।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि राजस्थान राज्य के बढ़ते हुये राजकीय वादकरण को दृष्टिगत रखते हुये वादों के सुचारू संचालन/निस्तारण तथा प्रभावी नियन्त्रण हेतु विख्यात विधिवेत्ता डा0 एल. एम. सिंघवी की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य में विधि सेवा का गठन किया गया था। गठन के समय विधि सेवा के अधिकारियों का वेतनमान निम्नानुसार था–

पदनाम	वर्ष 1983 से पूर्व का वेतनमान	वर्ष 1983 में संशोधित वेतनमान
विधि सहायक (अब कनिष्ठ विधि अधिकारी)	500 – 890	660 – 1240 (स्केल न0 **13**)
मुख्य विधि सहायक (अब वरिष्ठ विधि अधिकारी)	620 – 1100	820 – 1550 (स्केल न0 **17**)
सहायक विधि परामर्शी	930 – 1500	1210 -- 2040 (स्केल न0 **20**)
उप विधि परामर्शी	1400 – 1900	1750 – 2500 (स्केल न0 **24**)

विधि सेवा के गठन के समय समिति द्वारा जिस वेतनमान की सिफारिश की गई थी राज्य सरकार द्वारा वह वेतनमान प्रदान नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा जिन सेवाओं के समान विधि सेवा के अधिकारियों का वेतनमान स्वीकृत किया गया था, उन सेवाओं का वेतनमान भी आज विधि सेवा

11/12/2017

अधिकारियों से अधिक है, यही नहीं जिन सेवाओं का वेतनमान विधि सेवा अधिकारियों से कम था, आज उनका भी वेतनमान विधि सेवा अधिकारियों से अधिक है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा विधि सेवा के अधिकारियों को समानता के मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है। यह स्थिति विधि सेवा के अधिकारियों के लिए मानसिक रूप से बहुत पीड़ादायक है, इससे विधि अधिकारियों की कार्यकुशलता भी प्रभावित हो रही है। विधि सेवा के साथ हुयी इस असमानता की स्थिति को निम्नलिखित उदाहरणों से भली भाँति समझा जा सकता है –

दृष्टान्त प्रथम – विधि सहायक (LA) के सम्बन्ध में

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवाओं के पद के समान मानते हुए विधि सहायक के पद का वेतनमान निर्धारित किया गया था, उन सेवा के पदों का विवरण एवं षष्टम वेतन निर्धारण में उन पदों का विधि सहायक से अधिक ग्रेड–पे निम्नानुसार है –

पदनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल	वर्ष 2008 के षष्टम वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल एवं ग्रेड–पे	संलग्न
अनुसंधान छात्र (अब अ0स्कॉलर)	(राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा)	660–1240 **(स्केल नं0 13)**	9300–34800 (स्केल नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	
सहायक पुरालेखपाल	(राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा)	660–1240 **(स्केल नं0 13)**	9300–34800 (स्केल नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	
विधि रचनाकार	(राजस्थान विधि रचना सेवा)	660–1240 **(स्केल नं0 13)**	9300–34800 (स्केल नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	
विधि सहायक (अब कनिष्ठ विधि अधिकारी)	राज0 विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा	**660–1240 (स्केल नं0 13)**	**9300–34800 (स्केल नं0 11) ग्रेड–पे 3200 (अब 3600)**	

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवाओं के पदों को **विधि सहायक** के समकक्ष नहीं मानते हुए कम वेतनमान निर्धारित किया गया था, उन सेवाओं के पदों का विवरण एवं षष्टम वेतन निर्धारण में उन पदों का **विधि सहायक** से भी अधिक ग्रेड–पे निम्नानुसार है–

पदनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में पे–स्केल	वर्ष 2008 के षष्टम वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल एवं ग्रेड–पे	संलग्न
सहायक कृषि अधिकारी / कृषि सहायक / कृषि प्रसार अधिकारी / फार्म प्रबन्धक (जो कृषि स्नातक नहीं हैं)	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा	640–1180 (स्केल नं0 12)	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	

11.12.2017

निरीक्षक ग्रेड–I	राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा	640–1180 (स्केल नं0 12)	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	
निरीक्षक ग्रेड–I	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सा0 शाखा)	640–1180 (स्केल नं0 12)	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 12) ग्रेड–पे 3600 (अब 4200)	
विधि सहायक (अब कनि0विधि अधिकारी)	राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा	**660–1240 (स्केल नं0 13)**	**9300–34800 (ग्रे.पे नं0 11) ग्रेड–पे 3200 (अब 3600)**	

दृष्टान्त द्वितीय – सहायक विधि परामर्शी **(ALR)** के सम्बन्ध में

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवाओं के पद के समान मानते हुए सहायक विधि परामर्शी के पद का वेतनमान निर्धारित किया गया था, उन सेवा के पदों का विवरण एवं षष्टम वेतन निर्धारण में उन पदों का **सहायक विधि परामर्शी से अधिक ग्रेड–पे** निम्नानुसार है –

पदनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल	वर्ष 2008 के षष्टम वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल एवं ग्रेड–पे	संलग्न
आचार्य / फिजिसियन स्पेशलिस्ट	राज0 आयुर्वेद सेवा (महाविद्यालय शाखा)	1210–2040 (स्केल नं0 20)	15600–39100 (स्केल नं0 17) ग्रेड–पे 6600	
उप निदेशक	राजस्थान आयुर्वेद सेवा	1210–2040 (स्केल नं0 20)	15600–39100 (स्केल नं0 17) ग्रेड–पे 6600	
सहायक शासन सचिव	राजस्थान शासन सचिवालय सेवा	1210–2040 (स्केल नं0 20)	15600–39100 (स्केल नं0 17) ग्रेड–पे 6600	
निजी सचिव	राजस्थान शासन सचिवालय सेवा	1210–2040 (स्केल नं0 20)	15600–39100 (स्केल नं0 17) ग्रेड–पे 6600	
विधि रचना अधिकारी	राजस्थान विधि रचना सेवा	1210–2040 (स्केल नं0 20)	15600–39100 (स्केल नं0 17) ग्रेड–पे 6600	
सहायक विधि परामर्शी	राजस्थान विधि सेवा	**1210–2040 (स्केल नं0 20)**	15600–39100 **(स्केल नं0 16) ग्रेड–पे 6000**	

दृष्टान्त तृतीय – उप विधि परामर्शी **(DLR)** के सम्बन्ध में

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवाओं के पद के समान मानते हुए उप विधि परामर्शी के पद का वेतनमान निर्धारित किया गया था, उन सेवा के पदों का विवरण एवं षष्टम वेतन निर्धारण में उन पदों का **उप विधि परामर्शी से अधिक ग्रेड–पे** निम्नानुसार है –

11.12.2017

पदनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में पे–स्केल	वर्ष 2008 के षष्टम वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल एवं ग्रेड–पे	संलग्न
निदेशक	राजस्थान आयुर्वेद सेवा	1750–2500 (स्केल नं0 24)	15600–39100 (स्केल नं0 20) ग्रेड–पे 7600	
निदेशक	राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा	1750–2500 (स्केल नं0 24)	15600–39100 (स्केल नं0 20) ग्रेड–पे 7600	
उप शासन सचिव	राजस्थान सचिवालय सेवा	1750–2500 (स्केल नं0 24)	15600–39100 (स्केल नं0 20) ग्रेड–पे 7600	
उप शासन सचिव, विधि रचना संगठन	राजस्थान विधि रचना सेवा	1750–2500 (स्केल नं0 24)	15600–39100 (स्केल नं0 20) ग्रेड–पे 7600	
उप विधि परामर्शी	राजस्थान विधि सेवा	**1750–2500 (स्केल नं0 24)**	**15600–39100 (स्केल नं0 19) ग्रेड–पे 7200**	

वर्तमान में विधि सेवा के अधिकारी, सेवा के गठन के उद्श्यों से भी अधिक अपेक्षा से कार्य सम्पादन कर रहे हैं और इनके प्रभावी कार्य सम्पादन से विभागाध्यक्ष, राज्य सरकार, प्रशासनिक विभाग, बोर्ड, राजकीय उपक्रम, स्थानीय निकाय आदि लाभान्वित हो रहे हैं, इसके साथ ही यह अधिकारीगण प्रशासनिक निर्णय लेने में सहभागी भी हैं। सेवा के अधिकारी हमेशा ही विपरीत परिस्थितियों में रह कर भी राज्य के हितों की संरक्षा करते हैं और इन पर दिन प्रतिदिन कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि हो रही है।

विधि सेवा के अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार, विभागाध्यक्ष एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में वादकरण सम्बन्धी कार्य जिसमें वाद पत्र, जवाब दावा, न्यायालय के निर्णय इत्यादि का परीक्षण व परामर्श तथा विधायी प्रारुपण सम्बन्धी कार्य, Lites वेबसाइटस का संधारण, विधिक राय हेतु प्राप्त होने वाली पत्रावलियों पर नियम, अधिनियम की व्याख्या कर राय इत्यादि का कार्य किया जाता है जो कि नई नीतियों के निर्धारण में वर्तमान में उपयोगी हैं और वादकरण सम्बन्धी कार्यो के लिए तो ये रीड की हड्डी (Back bone) हैं।

राज. विधि सेवा के अधिकारियों के वेतनमान की स्थिति पर दृष्टिपात करने पर वे अति न्यूनतम दयनीय स्थिति को प्रकट करते हैं। इन वेतनमानों के आधार पर जिस उत्कृष्ट श्रेणी के कार्य को सम्पादित किया जा रहा हैं उसके लिये आवंटित वेतनमान किसी भी प्रकार से उचित नहीं हैं जबकि विधि सेवा से कम स्तर की सेवाओं के वेतनमान राज. विधि सेवा से उच्चतर स्थिति में हैं।

पांचवें वेतन आयोग के लागू होने से पूर्व तक कई सेवाओं के वेतनमान जो कि राज0 विधि सेवा के वेतनमान से कम थे अथवा समान थे, 5th वेतन आयोग में उनको विधि सेवा के मुकाबले उच्च वेतनमान प्रदान कर दिया गया तथा इसी प्रकार 6th वेतन आयोग में भी राज0 विधि सेवा के अधिकारियों को अन्य सेवाओं के मुकाबले निम्न वेतनमान प्रदान किया गया। इस कारण से विधि स्नातक की योग्यता होने के बावजूद विधि सेवा अधिकारी वेतनमान के मामले में 12वीं योग्यताधारी सेवाओं से भी पीछे रह गये हैं।

11.12.2017

संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग राजस्थान की आज्ञा क्रमांक प. 6 (5) प्र.सु./अनु–3/2017 जयपुर दिनांक 3 नवम्बर 2017 के बिन्दु संख्या (ii) के क्रम में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की विधि सेवा के पदों एवं उनके वेतनमान का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है –

केन्द्रीय विधि सेवा		राजस्थान विधि सेवा			औचित्य एवं कारण
विद्यमान पद	स्वीकृत वेतनमान	विद्यमान पद	स्वीकृत वेतनमान	वांछित एवं न्यायसंगत वेतनमान	1.शैक्षणिक योग्यता, कर्तव्य एवं भती प्रक्रिया के लिये टेविल संलग्न नं0 – है। 2.राज्य में उपलब्ध ग्रेड पे के अनुसार समानता बनाये रखने के लिये कनिष्ठ विधि अधिकारी (पूर्व पद विधि सहायक) के लिये केन्द्रीय विधि सेवा के समकक्ष पद हेतु निर्धारित ग्रेड पे:–4600 के स्थान पर 4200 की मांग की गई है और वरिष्ठ विधि अधिकारी (पूर्व पद मुख्य विधि सहायक) हेतु केन्द्रीय विधि सेवा के समकक्ष पद हेतु निर्धारित ग्रेड पे–4800 के स्थान पर 5400 की मांग की गई है। यहां यह स्पष्ट किया जाना उचित है कि कनिष्ठ विधि अधिकारियों की संख्या अधिक और वरिष्ठ विधि अधिकारियों की संख्या कम होने के कारण वित्तीय भार भी कम आयेगा
सहायक, विधि	6 thवेतनआयोग में9300–34800 (ग्रेड–पे4600) 7 th में L– 7	विधि सहायक अब कनि0 विधि अधिकारी (JLO)	6thवेतनआयोग में 9300–34800 (ग्रेड–पे 3600) 7 th में L–10	6 thवेतनआयोग में9300–34800 **(ग्रेड–पे4200) 7 th में L–11**	
अधीक्षक, विधि	6 thवेतनआयोग में9300–34800 (ग्रेड–पे4800) 7 th में L– 8	मुख्य विधि सहायक अब वरि0 विधि अधिकारी (SLO)	6thवेतनआयोग में 9300–34800 (ग्रेड–पे 4800) 7 th में L–12	6 thवेतनआयोग में15600–39100 **(ग्रेड–पे5400) 7 th में L–14**	
सहायक विधि सलाहकार	6 thवेतनआयोग में15600–39100 (ग्रेड–पे 6600) 7 th में L– 11	सहायक विधि परामर्शी (ALR)	6thवेतनआयोग में15600–39100 (ग्रेड–पे 6000) 7 th में L–15	6 thवेतनआयोग में15600–39100 **(ग्रेड–पे 6600) 7 th में L–16**	
उप विधि सलाहकार	6 thवेतनआयोग में15600–39100 (ग्रेड–पे 7600) 7 th में L– 12	उप विधि परामर्शी (DLR)	6thवेतनआयोग में15600–39100 (ग्रेड–पे 7200) 7 th में L–18	6 thवेतनआयोग में15600–39100 **(ग्रेड–पे 7600) 7 th में L–19**	
अतिरिक्त विधि सलाहकार	6 thवेतनआयोग में37400–67000 (ग्रेड–पे 8700) 7 th में L–13	संयुक्त विधि परामर्शी (Jt.LR)	6thवेतनआयोग में15600–39100 (ग्रेड–पे 8200) 7 th में L–20	6 thवेतनआयोग में37400–67000 **(ग्रेड–पे 8700) 7 th में L–21**	

छठे वेतन आयोग के पश्चात राज्य में विधि सेवा के नवीन पद सृजन के पश्चात राज्य विधि सेवा एवं केन्द्र की विधि सेवा की तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है –

केन्द्रीय विधि सेवा		राज. विधि सेवा		
विद्यमान पद	स्वीकृत वेतनमान	विद्यमान पद	स्वीकृत वेतनमान	वांछित एवं न्यायसंगत वेतनमान
Joint Secretary & Legal Adviser	**37,400–67,000 (ग्रेड पे–10,000)** 7th में L– 14	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी **(Sr.Jt.LR)**	**37,400–67,000 (ग्रेड पे–8700)** 7th में L– 21	**37,400– 67,000 (ग्रेड पे– 9,500) 7th में L– 23**

11.12.2017

उक्त **तुलनात्मक स्थिति से यह स्पष्ट है कि राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों को न तो राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के समान वेतनमान प्रदान किया गया है और न ही केन्द्र की समकक्ष सेवाओं के समान वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है।** यहां तक कि पूर्व में वेतनमान की समान स्थिति को भी घटाकर नीचे की स्थिति में लाया गया है। उक्त वर्णित सेवाओं के अतिरिक्त राज्य में और भी ऐसी सेवाऐं हैं जिनकी तुलना में विधि सेवा का वेतनमान नीचे रखा गया है।

विधि सेवा के सदस्यों की योग्यता, उनकी चयन प्रक्रिया एवं सम्पादित किये जाने वाले कार्य अति–महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं, फिर भी राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के अधिकारियों की उपेक्षा करते हुए 5वें व 6वें वेतन आयोग की सिफारिशें अतार्किक रूप से लागू करके राज्य की समकक्ष सेवाओं एवं केन्द्रीय विधि सेवा के वेतनमान की तुलना में अत्यधिक अन्तर करके कम वेतनमान दिया गया है। इस पर विचार कर तर्कसंगत एवं न्यायपूर्ण निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

कनिष्ठ विधि अधिकारी **(JLO)** के पद से प्रथम पदोन्नति वरिष्ठ विधि अधिकारी **(SLO)** के पद पर होती है। वरिष्ठ विधि अधिकारी का पद राज्य सेवा का पद है। **वर्तमान में वरिष्ठ विधि अधिकारी (SLO) एवं सहायक विधि परामर्शी (ALR) के पद पर कार्यरत अधिकांश अधिकारियों की प्रथम पदोन्नति लगभग 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर हुई है।** वरिष्ठ विधि अधिकारी **(SLO)** से सहायक विधि परामर्शी **(ALR)** के पद पर पदोन्नति में भी अत्यधिक समय लग रहा है। इस प्रकार राजस्थान **विधि सेवा के सदस्यों का अधिकांश सेवाकाल आरम्भिक दोनों पदों अर्थात कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO) एवं वरिष्ठ विधि अधिकारी (SLO) के पदों पर ही पूरा हो जाता है और इससे उच्चतर पदों पर पदोन्नति हेतु आयु एवं सेवाकाल बहुत कम शेष रहता है,** जिसके कारण अधिकांश अधिकारी उप विधि परामर्शी **(DLR)**, संयुक्त विधि परामर्शी **(Jt.LR)** एवं वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी **(Sr.Jt.LR)** के पदों पर पदोन्नति का लाभ प्राप्त किए बिना ही सेवानिवृत हो जाते हैं।

विधि सेवा के लिए विधि स्नातक होना आवश्यक है, विधि स्नातक एक Professional Degree है और इसको कम से कम डॉक्टर, औषधि नियत्रंक अधिकारी आदि के लिए निर्धारित योग्यता के समकक्ष माना जाना चाहिए। इसलिए उचित एवं न्यायपूर्ण तो यह है कि इनके वेतनमान डॉक्टर, औषधि नियत्रंक अधिकारी आदि के समकक्ष ही रखे जावें क्योकि विधि अधिकारियों का कार्य किसी भी दृष्टिकोण से अन्य सेवाओं के कार्य से कम महत्वपूर्ण एवं कमतर प्रकृति का नहीं है इसलिए इस सेवा के पदो के लिए निर्धारित वेतनमान में असमानता होने का कोई युक्ति–युक्त आधार नहीं है। यदि उक्त सेवाओं के समकक्ष वेतनमान नही दिया जाता है तो कम से कम केन्द्रीय विधि सेवाओं के समकक्ष मिलना तो अति–आवश्यक एवं न्यायपूर्ण है।

11.12.2017

अन्य भत्ते/सुविधाऐं –

संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग राजस्थान की आज्ञा क्रमांक प. 6 (5) प्र.सु./अनु–3/2017 जयपुर दिनांक 3 नवम्बर 2017 के बिन्दु संख्या (IV) के क्रम निम्नानुसार निवेदन है –

वर्तमान में विधि सेवा के अधिकारीगण को किसी प्रकार का भत्ता व अन्य सुविधाऐं उपलब्ध नहीं है। विधि सेवा के कार्य सम्पादन की प्रकृति से ही स्पष्ट है कि विधि सेवा के सदस्यों को वादकरण कार्य सम्पादित करना होता है। मा0 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित न्यायालय प्रकरणों के सम्बन्ध में महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता व उनके सहायकों से एवं प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष आदि के साथ **निजी खर्चे पर दूरभाष/मोबाईल पर वार्ता/व्यक्तिगत सम्पर्क/बैठक आदि नियमित रूप से सम्पादित किये जाते हैं,** लेकिन विधि सेवा के सदस्यों को दूरभाष/मोबाईल एवं यात्रा व्यय नहीं दिया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार में मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी मोबाईल भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

विधि अधिकारीगण को किसी भी प्रकरण में उचित व प्रभावी विधिक राय देने से पूर्व तत्सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों के निर्णय/अधिनियम/नियम/परिनियम के सम्बन्ध में विधिक पुस्तकों का अवलोकन आवश्यक होता है। उक्त प्रकरण में निवेदन है कि राज्य सरकार के अधिकांश कार्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। **विधि अधिकारीगण को स्वयं के खर्चे पर उक्त पुस्तकें जुटानी पड़ती हैं।** उक्त पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु विधि अधिकारीगण को लाईब्रेरी भत्ता भी स्वीकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में कार्यक्षमता पर जहां विपरीत प्रभाव पड़ रहा है वही राज्य/विभाग की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

विधि अधिकारीगण द्वारा सम्पादित उपरोक्त कार्यों की प्रकृति एवं उनके द्वारा किए जा रहे व्यय को ध्यान में रखते हुए उन्हें न्यायोचित दर से दूरभाष/मोबाईल भत्ता, वाहन भत्ता एवं लाईब्रेरी भत्ता स्वीकृत करवाने की कृपा करें।

तकनीकी विशेषज्ञता –

केन्द्र सरकार में विधि सेवा को तकनीकी विशेषज्ञता का दर्जा प्राप्त होना स्वीकार किया है और इसी तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिये जाने की घोषणा होने से पूर्व ही वेतन विसंगति को सुधारने हेतु राज0 विधि सेवा परिषद द्वारा एक ज्ञापन मा0 विधि राज्य मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया गया था। राज0 विधि सेवा परिषद द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन विधि विभाग की अनुशंसा के साथ वित्त विभाग को भिजवाया गया था। विधि विभाग द्वारा वित्त विभाग को निम्नानुसार वेतनमान दिये जाने की अभिशंसा **(RTI में प्राप्त छाया प्रति संलग्न)** की गई है –

11.12.2017

क्र.सं.	पद	6th वेतन आयोग में स्वीकृत वेतनमान मय ग्रेड–पे	विधि विभाग द्वारा की गई अनुशंसानुसार वांछित वेतनमान मय ग्रेड–पे
1.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	9300–34800 (3600/– ग्रेड पे)	9300–34800 (4200/– ग्रेड पे)
2.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	9300–34800 (4800/– ग्रेड पे)	15600–39100 (5400/– ग्रेड पे)
3.	सहायक विधि परामर्शी	15600–39100 (6000/– ग्रेड पे)	15600–39100 (6600/– ग्रेड पे)
4.	उप विधि परामर्शी	15600–39100 (7200/– ग्रेड पे)	15600–39100 (7600/– ग्रेड पे)
5.	संयुक्त विधि परामर्शी	15600–39100 (8200/– ग्रेड पे)	37400–67000 (8700/– ग्रेड पे)
6.	व0 संयुक्त विधि परामर्शी	37400–67000 (8700/– ग्रेड पे)	37400–67000 (9500/– ग्रेड पे)

विधि विभाग (प्रशासनिक विभाग) द्वारा उपरोक्तानुसार वेतनमान स्वीकृत करने हेतु की गई अनुशंसा पर वित्त विभाग की पत्रावली क्रमांक प. 14 (82) वित्त/नियम/2008 पर दिनांक 27.09.2017 को यह टिप्पणी **(RTI में प्राप्त छाया प्रति संलग्न)** अंकित की गई है कि "सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के क्रम में राज कार्मिकों के लिए नये वेतनमान नियम बनने के पश्चात वेतन विसंगति निराकरण कमेटी का गठन होने पर उक्त कमेटी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।"

विधि सेवा के अधिकारियों के वेतनमान में 5वें एवं 6वें वेतन आयोग के पश्चात स्वीकृत वेतनमान के कारण उत्पन्न हुई विसंगति को सुधारने के साथ ही 7वें वेतन आयोग में राज्य की समकक्ष सेवाओ एवं केन्द्रीय विधि सेवा के अधिकारियों को दिये गये वेतनमान के समकक्ष लाने के लिए राज्य की विधि सेवा के अधिकारियों का वेतनमान निम्नानुसार संशोधित किया जाना वांछनीय है –

पद	वर्तमान वेतनमान जो कि सातवें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया	निर्धारित वर्तमान वेतनमान की विसंगति दूर कर वेतन विसंगति निवारण समिति द्वारा जो वेतनमान निर्धारित करना है।
कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO)	9300–34800 (ग्रेड पे 3600) L-10	9300–34800 (4200/– ग्रेड पे) **L-11**
वरिष्ठ विधि अधिकारी (SLO)	9300–34800 (ग्रेड पे 4800) L-12	15600–39100 (5400/– ग्रेड पे) **L-14**
सहायक विधि परामर्शी (ALR)	15600–39100 (ग्रेड पे 6000) L-15	15600–39100 (6600/– ग्रेड पे) **L-16**
उप विधि परामर्शी (DLR)	15600–39100 (ग्रेड पे 7200) L-18	15600–39100 (7600/– ग्रेड पे) **L-19**
संयुक्त विधि परामर्शी (Jt. LR)	15600–39100 (ग्रेड पे 8200) L-20	37400–67000 (8700/– ग्रेड पे) **L-21**
व0 संयुक्त विधि परामर्शी (Sr. Jt.LR)	37400–67000 (ग्रेड पे 8700) L-21	37400–67000 (9500/– ग्रेड पे) **L-23**

वर्तमान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना अस्तित्व में है, लेकिन राज्य द्वारा दोहरे स्नातक (double graduate) एवं प्रोफेशनल डिग्रीधारी सेवा के सदस्यों का अन्य सेवाओं से कमतर वेतनमान देकर अनावश्यक रूप से विसंगति व असंतोष उत्पन्न किया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करना समीचीन है कि विधि सेवा में कनिष्ठ विधि अधिकारी से लेकर वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर वर्तमान में कुल 318 विधि अधिकारीगण कार्यरत हैं, जिनके वेतनमान को उपरोक्तानुसार संशोधन कर विसंगति दूर करने में राज्य सरकार पर बहुत ही कम वित्तीय भार पड़ेगा।

11.12.2017

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि राजस्थान राज्य के विधि अधिकारियों की निर्धारित योग्यता, जटिल चयन प्रक्रिया, उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की अति महत्वपूर्ण प्रकृति एवं **प्रशासनिक विभाग (विधि विभाग) द्वारा की गई अनुशंसा** को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य के विधि सेवा अधिकारियों के लिए 7वें वेतन आयोग में निर्धारित किये गये Pay-lable की विसंगति को दूर करवाकर राज्य की अन्य समकक्ष सेवाओं अथवा केन्द्रीय विधि सेवा के लिए 7वें वेतन आयोग में निर्धारित किये गये Pay-lable के समान वेतनमान तथा उक्त वांछित भत्तों को स्वीकृत करवाने की कृपा करें।

सादर।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

11.12.2017

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद्
मो0 :– 70143–47174

o/c

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/25

दिनांक : 11-12-2017

सेवा में,

माननीय राज्यपाल महोदय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय – प्रत्येक प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्ष, संभाग एवं जिला स्तर पर क्रमशः वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, संयुक्त विधि परामर्शी एवं उप विधि परामर्शी के पद सृजन के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिये जाने बाबत्।

मान्यवर,

विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि राज्य के बढ़ते हुए विधिक कार्यकलापों के साथ–साथ जन–जागरूकता के कारण राज्य के विधिक कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, इससे प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्ष, संभाग एवं जिला स्तर के प्रत्येक कार्यालयों में कार्य भार भी बढ़ गया है, जबकि विधि सेवा के अधिकारियों के पद उसी अनुसार सृजित नहीं है। इसके अभाव में विधिक प्रकरणों का न तो उचित परीक्षण ही हो पाता है और न ही विभाग को वादकरण इत्यादि से निपटने एवं उसे नियंत्रित करने हेतु मार्गदर्शन ही प्राप्त हो पाता है। समुचित विधिक मार्गदर्शन बिना लिये गये प्रशासनिक निर्णय के कारण राजकीय वादकरण में दिनों–दिन वृद्धि हो रही है, जो राज्यहित में उचित नहीं है। यदि उक्त स्तरों पर दिन–प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली समस्याओं का विधिक समाधान समुचित स्तर के विधि अधिकारियों के पदों के सृजन से हो जाता है तो इससे आम जनता को प्रारम्भिक स्तर पर राहत मिलने के साथ ही राज्य सरकार पर वादकरण से पड़ने वाले अनावश्यक वित्तीय भार में भी कमी आयेगी।

विधि विभाग द्वारा निर्धारित किये गये विधि अधिकारियों के कार्य/दायित्व निम्नानुसार हैं :–

1. विधायी प्रारूपण संम्बधी कार्य यथा अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं उपनियमों आदि का प्रारूपण एवं उनमें संशोधन के प्रारूप बनाना ।

11.12.2017

2. विधिक मामलों का परीक्षण एवं परामर्श संबंधित कार्य ।
3. नोटिस, याचिका, दावे एवं जबाब दावें इत्यादि का परीक्षण एवं परामर्श।
4. अपीलीय मामलों एवं निर्णयों का परीक्षण एवं परामर्श।
5. विभागीय अन्य विशिष्ट विधिक कार्य।

यद्यपि विधि विभाग द्वारा विधि अधिकारियों के लिए उपरोक्त वर्णित दायित्व/कार्य निर्धारित किए हैं परन्तु वास्तविकता में महत्वपूर्ण प्रकृति के निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाते हैं –

1. विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार के विरूद्ध या राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत वाद/अपील/रिट याचिकाओं में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति करना, जवाब प्रस्तुत करवाना, न्यायालय में प्रकरण की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करवाना एवं निर्णय होने पर उसके विरूद्ध अपील/नो अपील की राय देना।
2. प्रत्येक विभाग के कुछ विशेष अधिनियम, नियम, विनियम, बने हुये हुये हैं। विभाग में पदस्थापित विधि अधिकारी द्वारा उस विभाग से सम्बन्धित विधियों का विशेष अध्ययन कर विभाग के विधिक प्रकरणों का परीक्षण कर उनका निस्तारण किया जाता है।
3. राज्यस्तर पर न्यायालय प्रकरणों की मॉनिटरिंग, विधि विभाग द्वारा निर्धारित किये गये 13 प्रपत्रों में कार्यों की मासिक समीक्षा, कुछ प्रकरणों में न्यायालय द्वारा पारित प्रकरणों के बिरूद्व अपील करने अथवा नहीं करने के सम्बन्ध में स्थायी समिति की बैठकें आयोजित करवाना ।
4. धारा 3/25, आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति जारी करवाना।
5. लोक सेवकों के द्वारा अपराध किये जाने की दशा में उनके विरूद्ध अभियोजन चलाने की पूर्व स्वीकृति हेतु पुलिस व अन्य विभागों से प्राप्त पत्रावलियों का विधि अनुरूप अध्ययन कर अभियेाजन स्वीकृति के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करना।
6. अधीनस्थ फौजदारी न्यायालय से निर्णय उपरान्त प्राप्त पत्रावलियों का अध्ययन कर अपील/नो अपील की राय देना तथा अपील करने का प्रशासनिक निर्णय होने पर सक्षम न्यायालय में शीघ्र ही अपील प्रस्तुत करवाना।
7. जिले के विभिन्न विभागों के विरूद्ध उच्चतम/उच्च न्यायालय सहित विभिन्न सिविल न्यायालयों व राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का न्याय विभाग की वेबसाईट लाईट्स (LITES) पर प्रविष्ठि

11.12.2017

व अपडेशन करवाना। जिले के विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी के साथ मासिक बैठक (MEETING) आयोजित कर विभागवार विचाराधीन प्रकरणों की समीक्षा करना तथा न्याय विभाग द्वारा आयोजित V.C. में भाग लेना इत्यादि।

8. हथियार लाईसेन्स जारी करने, पेट्रोल पम्प, माईनिंग, विस्फोटक पदार्थ भण्डारण स्थापित करने इत्यादि पत्रावलियों में विधिक राय देना।

9. भू–सम्परिवर्तन, विभिन्न राजस्व नियमों के तहत भूमि का आवंटन, निगमन, भूमि को लीज पर देने व लीज नवीनीकरण तथा लीज व आवंटन/निगमन का प्रारूप तैयार करवाने सहित राजस्व से सम्बन्धित अन्य सभी पत्रावलियों में कानूनी बिन्दुओं की सही–सही विवेचना कर विधि सम्मत रूप देना।

10. कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर तथा विधानसभा, लोकसभा सहित अन्य निर्वाचन कार्यों में विधि अधिकारी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और निर्वाचन प्रक्रिया में उत्पन्न कठिनाईयों व कानूनी बिन्दुओं पर विवाद की स्थिति में विधि अधिकारी द्वारा ही कानून की विवेचना कर तत्समय विधिक राय देकर निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग किया जाता है।

11. जिला कलक्टर कार्यालय व जिले में स्थापित अन्य विभाग, जिनमें जिला कलक्टर किसी परियोजना/स्कीम में या तो अध्यक्ष होते है या सदस्य राचिव होते हैं और अध्यक्ष या सदस्य सचिव के रूप में अन्य विभागों से भी पत्रावली जिला कलक्टर कार्यालय में प्राप्त होने पर पत्रावलियों का विधिक परीक्षण जिला कलक्टर कार्यालय में कार्यरत विधि अधिकारी द्वारा ही किया जाता है।

हालांकि राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर विधि सेवा के वरिष्ठ अधिकारीगण के पद सृजित हैं, किन्तु उपरोक्त वर्णित महत्वपूर्ण प्रकृति के कार्यों की अधिकता के बावजूद अधिकांश विभागों/स्तरों पर विधि अधिकारियों के समुचित स्तर व आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या के पद सृजित नहीं हैं। कार्य की अधिकता एवं समुचित स्तर के पदों की कमी के कारण विभागों में उक्त महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन कुशलता व गुणवत्ता के साथ नहीं हो पाता है, जिससे राज्य की क्षमता व छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इस तथ्य में कोई संशय नहीं है कि अनुभवी विधि अधिकारी न केवल विभाग के अपितु राज्य के आर्थिक/वित्तीय हितों की संरक्षा ज्यादा कुशलता व गुणवत्ता से कर सकता है।

11.12.2017

राज्य के बढ़ते वादकरण पर नियंत्रण करने एवं राज्य के विधिक क्रियाकलापों के कुशल प्रबन्धन हेतु प्रत्येक प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्ष, संभागीय स्तर व जिला स्तर पर प्रकरणों की संख्या/विधिक क्रियाकलापों की स्थिति के अनुरूप राज्यहित में 'विधि अधिकारियों' के विभिन्न पद सृजित करने की निम्नानुसार आवश्यकता है –

स्तर	पद
अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/ संयुक्त विधि परामर्शी
विभागाध्यक्ष	संयुक्त विधि परामर्शी
पुलिस महानिदेशक	संयुक्त विधि परामर्शी
संभागीय आयुक्त/पुलिस आयुक्त/महानिरीक्षक पुलिस रेंज	संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी
जिला कलक्टर	उप विधि परामर्शी
जिला पुलिस अधिक्षक	सहायक विधि परामर्शी

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि राज्य हित में विधि सेवा के उपरोक्तानुसार पदों के सृजन के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय (policy decision) हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाकर अनुग्रहित करें।

सादर।

11.12.2017

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद्
मो0 :– 70143–47174

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

जयपुर, दिनांक 13.12.17

क्रमांक: प.22(8)न्याय/17

सदस्य सचिव
श्री डी.सी. सामन्त कमेटी
वित्त भवन, जयपुर।

विषयः—राजस्थान विधि सेवा परिषद्, जयपुर द्वारा विधि सेवा अधिकारियों के वेतनमान की विसंगति को दूर करने के संबंध में प्रस्तुत ज्ञापन।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान विधि सेवा अधिकारियों के वेतनमान की विसंगति को दूर करने के संबंध में राजस्थान विधि सेवा परिषद्, जयपुर से प्राप्त ज्ञापन दिनांक 04.09.2017 को वित्त विभाग में प्रस्तुत करने पर वित्त विभाग ने यह निर्देश दिया है कि "अध्यक्ष राजस्थान विधि सेवा परिषद से प्राप्त ज्ञापन को अपने अनुशंषा सहित श्री डी.सी. सामन्त, सेवानिवृत आईएएस की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति निराकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करें।"

विधि विभाग की अभिशंसा के साथ राजस्थान विधि सेवा परिषद्, जयपुर से प्राप्त ज्ञापन दिनांक 04.09.2017 की प्रति श्री डी.सी. सामन्त कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु भिजवाई जा रही है।

संलग्नः—यथोक्त।

13.12.17

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

14/12/2017

वेतन विसंगति निवारण समिति